असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

22 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा 22 जुलाई, 2019 ई0

---------- सोमवार, तिथि ----------

त्रयोदश सत्र 31 आषाढ़,1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : सत्यदेव जी, आप समय पर उठाइयेगा ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सुन लिया जाय । आज मॉब लिंचिंग पर कार्यस्थगन लाया गया है .... तो कार्यस्थगन क्या है?

(व्यवधान)

महोदय, राज्य में विधि व्यवस्था, मॉब लिंचिंग जिस तरह से मुंह फैला रहा है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है । महोदय, कानून का राज यही है ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस बात की गंभीरता अगर आप समझते हैं, तब तो समय पर ही उठाना उपयुक्त होगा, अभी तो दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्नों का समय भी बर्बाद होगा, इसलिए ललित जी अपना प्रश्न पूछिए ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : हमलोग प्रश्न पूछने के लिए सिर्फ सदन में नहीं आते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, प्रश्न तो पूछते हैं लेकिन यह मॉब लिंचिंग भयानक रूप लेती जा रही है..

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, आप केवल प्रश्न करने के लिए ही सदन में आते हैं, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं । पूरे प्रदेश की विधि व्यवस्था की स्थिति सहित सारी चीजों पर सदन ने पिछले ही दिनों तीन घंटे का विमर्श किया है, गृह विभाग की मांग पर।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मॉब लिंचिंग पर जो घटनायें घट रही हैं.....

अध्यक्ष : ललित कुमार यादव जी, आप अपना प्रश्न पूछिए । इसको समय पर उठाइयेगा ।

(व्यवधान)

अभी कोई समय है, अभी कोई समय नहीं है, ललित जी प्रश्न पूछिए । हाउस को चलने दीजिए, आप ही लोगों का प्रश्न है ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-21(श्री ललित कुमार यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार फायर सर्विस ऐक्ट,2014 (बिहार ऐक्ट-6) की धारा-30 के तहत प्रस्तावित बिहार अग्निशामक सेवा नियमावली में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन एकेडमी के गठन का प्रावधान रखा गया है, सम्प्रति अग्निकों एवं फायर स्टेशन ऑफिसरों का प्रशिक्षण सी0टी0आई0, बिहटा के परिसर में अवस्थित अग्नि प्रशिक्षण एकेडमी, आनन्दपुर बिहटा में दिया जाता है। बिहार फायर सर्विस ऐक्ट-14 की धारा-63 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अग्निशामक सेवा नियमावली बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि 2014 से अभी तक कितने अग्निकांड प्रतिवेदित हुए हैं और नियमावली के अभाव में जो आम जनता है, उन अग्निपीड़ितों को लाभ से वंचित रहना पड़ा है, तो हम यह जानना चाहते हैं कि वर्ष 2014 से कितनी घटनायें अग्निकांड के प्रतिवेदित हुई हैं आज तक?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : क्या प्रतिवेदित हुए हैं, मैं समझ नहीं रहा हूँ । ऑपरेशन जो होगा, उसके क्या सिस्टम होंगे, यह अभी तत्काल चल ही रहा है और व्यापक नीति बनाने हेतु लॉ डिपार्टमेंट में गया है, अभी तो दो साल ही तो हुआ है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, 2014 से 2019 तक, हम कह रहे हैं कि कितने अग्निकांड प्रतिवेदित हुए हैं, कितनी घटनायें अग्निकांड के हुए हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसका अलग से माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य प्रश्न पूछें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आम जनता के लिए यह नियमावली बननी थी और आम जनता इस लाभ से वंचित रह गयी, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितने अग्निकांड प्रतिवेदित हुए हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी यह फीगर नहीं है, उन्होंने कहा कि अलग से दे सकते हैं । अब आप अगला प्रश्न पूछिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, नियमावली 2014 से आजतक नहीं बनी है, इसके लिए कौन पदाधिकारी दोषी हैं, अगर दोषी हैं तो क्या उसपर कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : कोई दोषी नहीं है, प्रक्रियाधीन है । वक्त लगता है, प्रक्रिया हो रही है, जल्दी हो जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, 2014 से 2019 तक यह सरकार कौन कछुआ चाल से चल रही है इसे बनाने में ।

अध्यक्ष : इसलिए न आप कहिए कि जल्दी हो जाय ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-22(श्री भोला यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- एतद् संबंधी पत्र की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग में अनुपलब्ध है ।

2- एतद् संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

3- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्याधीन सेवा में राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बिहार अधिनियम-17, 2002 एवं बिहार अधिनियम-2-19 के द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अंतर्गत आरक्षण अनुमान्य कराया गया है । बिहार के अभ्यर्थी अन्य राज्यों में भी संबंधित राज्य के नियमानुसार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।

4- बिहार अधिनियम-3(92) एवं यथा संशोधित अधिनियम-15, 2003 के अंतर्गत केवल बिहार राज्य के निवासियों की ही राज्याधीन सेवा में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री भोला यादव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय, हमारे प्रश्न को लगता है सही ढंग से नहीं पढ़े हैं । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हमारा जो प्रश्न है वह किसी वर्ग के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं है बल्कि बिहार की अस्मिता की बात है । बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं तो वहां पर उनको नौकरी से वंचित किया जाता है, उनके साथ मारपीट होती है, उनकी बेइज्जती होती है। हमारे राज्य का जो नौकरी है, वह बिहार के बाहर के बच्चे ले जाते हैं । अभी हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो लेक्चरर की बहाली हुई है, उसमें अंग्रेजी विषय में जेनरल केटेगरी में 80 प्रतिशत सीट एक स्टेट केरल के बच्चे ले गये हैं और फिजिक्स में 78 प्रतिशत सीट एक स्टेट पश्चिम बंगाल का ले गया है । महोदय, मैं लोकल रिजर्वेशन की बात करता हूँ.....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री भोला यादव : महोदय, मेरा कहना यह है, मैंने पहला प्रश्न किया है कि क्या यह बात सही है कि अन्य राज्यों के तरह बिहार राज्य में भी शिक्षण संस्थानों में नामांकन तथा सरकारी सेवा में स्थानीय अभ्यर्थियों को आरक्षण की व्यवस्था के लिये कानून बनाने हेतु प्रश्नकर्त्ता सदस्य के पत्रांक 83/2016 दिनांक 10 जुलाई, 2016....

अध्यक्ष : वह तो लिखा हुआ है ।

श्री भोला यादव : महोदय, इन्होंने कहा है कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसपर हम कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी को कि जो आपके माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय में हम इसको रिसीव कराये हैं, वो कागजात का कॉपी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उसमें हमने उठाया था कि जो हमारे व्याख्याता का 80 प्रतिशत सीट दूसरे राज्य के बच्चे ले जा रहे हैं और हमलोग लोकल रिजर्वेशन लागू नहीं कर रहे हैं.....

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए न ।

श्री भोला यादव : महोदय, हम यह पूछना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार के अलावे उत्तरप्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलांगना, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश....

अध्यक्ष : वे तो कह रहे हैं कि सूचना नहीं है ।

श्री भोला यादव : ये सब स्टेटों में लोकल रिजर्वेशन लागू है । यहां के अभ्यर्थियों को लोकल रिजर्वेशन लाने का विचार रखते हैं या नहीं, यह बतायें ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि रिजर्वेशन में स्टेट को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन रिजर्वेशन से जो बाहर है, चूंकि ऑल इंडिया सिटीजनशीप होता है, कानून कोई राज्य नहीं बना सकती है कि ऑल इंडिया पैमाने पर कि दूसरे राज्यों के लोग आयेंगे तो हम उनको नहीं देंगे नौकरी, सब राज्य में नियम है ।

श्री भोला यादव : महोदय, मैं रिजर्वेशन केटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेनरल केटेगरी की बात कर रहा हूँ । मंत्री महोदय पूरे प्रश्न को डायवर्ट कर रहे हैं, हमारी बात पूरी सुन लीजिए ।

अध्यक्ष : एक मिनट । कोई डायवर्ट करने की बात नहीं है, रिजर्वेशन मतलब जातिगत ही नहीं होता है, मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर हम आरक्षित कर दें कि इसमें बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं, उस मकसद से वह रिजर्वेशन की बात कह रहे हैं ।

श्री भोला यादव : महोदय, मेरा यह कहना है कि हमारा राज्य पिछड़ा राज्य है, हमारे राज्य में लिटरेसी अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है, दूसरे राज्यों में जो मार्किंग की व्यवस्था है,

वहां काफी ज्यादा मार्क्स उठता है । हमारे राज्य को जो सिलेबस है, उसमें मार्क्स कम उठता है ।

....क्रमशः...

टर्न–2/राजेश/22.7.19

श्री भोला यादव, क्रमशः जिसके चलते हमारे बच्चे मार्किंग के आधार पर पिछड़ जाते हैं और दूसरे स्टेट के बच्चे ले जाते हैं,तो लोकल रिजर्वेशन बगल में झारखंड लागू कर दिया....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः नहीं–नहीं महोदय । बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में तो एक्जामिनेशन होता है, उसका कॉपी जांच होता है, नम्बर के आधार पर थोड़े होता है, जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं ।

श्री भोला यादवः नहीं–नहीं महोदय,बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ही बात मैं कर रहा हूँ । बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ही दूसरे स्टेट के बच्चे ने 70 परसेंट सीट ले गये, 60 परसेंट सीट ले गये हैं, आपके बच्चे को कहाँ मिल रहा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में । आपको लोकल रिजर्वेशन लाने में क्या दिक्कत है,जबकि बगल के सारे राज्यों में है, यह तो पॉलिसी की बात है ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लीजियेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, कानून, संविधान के दृष्टिकोण से राज्यवार आरक्षण का जैसा मैंने कहा, वह नहीं संभव है ।

श्री भोला यादवः महोदय, हमारा यह कहना है कि 1973 में आन्ध्रप्रदेश राज्य ने अपनी गरीबी को देखते हुए वहाँ के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि वे लोक रिजर्वेशन लायेंगे, अपने बच्चों को प्राथमिकता देंगे और 1975 में .....(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, पहले ये सुन तो लें । माननीय सदस्य जिस पत्र का जिक्र कर रहे हैं, वे दे दें, तो हम एक्जामिन करवा लेंगे ।

श्री भोला यादवः महोदय, महोदय ..... (व्यवधान)

अध्यक्षः अब तो कह दिये कि आप दे दीजिये, दिखवा लेंगे, यह तो पोजिटिव नोट पर जा रहा है, फिर आप क्यों इसको नहीं हो सकता है, हो सकता है, में ले जाना चाहते हैं ?

श्री भोला यादवः महोदय, हम इसे पोजिटिव ही ले जाना चाहते हैं । महोदय, हमारी राय है कि माननीय मंत्री जी यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो बैठकर इसका समाधान निकालें, पदाधिकारियों की बैठक बुलावें, आप अपने आसन से बोल दीजिये महोदय । यह बिहार की अस्मिता का प्रश्न है महोदय ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, इसमें रास्ता निकालने की जरुरत है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ।

अध्यक्षः इन्होंने तो कह दिया कि कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, मा0 सदस्य भोला बाबू आप पहले मेरी बात को सुन तो लीजिये । जो भोला बाबू कह रहे हैं, वे हमको लिखित में दे दें और अन्य राज्यों से उसको दिखवा करके, अगर अन्य राज्यों में होगा, तो हमलोग भी उसपर सोचेंगे ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय, मेरा इसपर एक प्रश्न है ।

अध्यक्षः अब इसमें क्या है । उन्होंने तो कह दिया कि दूसरे राज्यों को देखकर विचार करेंगे, बाकी और कुछ आपके पास हो, तो आप भी दे दीजियेगा, दूसरे प्रश्न का समय जा रहा है न ।

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय, इसकी वजह से ..... (व्यवधान)

अध्यक्षः अब क्या इसकी वजह से, जब उस जड़ का ही इलाज हो रहा है, तो वजह की क्या बात है । अब हो गया ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-23, श्री भोला यादव ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय आदेश संख्या-1051 दिनांक 4.3.05 द्वारा श्री ओम प्रकाश सिन्हा, कम्प्यूटर प्रोग्राम को आयोग कार्यालय में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं निजी सहायकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने हेतु रखा गया है । उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में निगरानी कांड संख्या-19/05 में बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के कम्प्यूटर प्रभाग में पदस्थापित तीन पदाधिकारियों यथा: विजय कुमार, एनालाईसिस प्रोग्राम, भानु प्रताप, एनालाईसिस प्रोग्राम, संजीव कुमार, इनफौरमेशन पदाधिकारी सह लाईब्रेरियन को भ्रष्टाचार के आरोप में निगरानी विभाग द्वारा गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरुप उक्त पदाधिकारियों को निलंबित करते हुए पुन: सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । उक्त पदाधिकारियों की बर्खास्तगी के उपरान्त आयोग कार्यालय में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गयी । ऐसी स्थिति में कार्यहित में श्री ओम प्रकाश सिन्हा को कम्प्यूटर प्रोग्राम के रुप में कार्यरत करने का दायित्व सौंपा गया । श्री सिन्हा की कार्यदक्षता, कार्य के प्रति समर्पण, सत्य निष्ठा, गोपानीयता, को देखते हुए आयोग द्वारा उनसे लगातार कार्य लिया जा रहा है,अभी तक इनकी कार्यक्षमता एवं सत्य निष्ठा संदेह से परे है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उप-निदेशक आई0टी0 के एक पद एवं सहायक निदेशक आई0टी0 के दो पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा क्रमश: विज्ञापन 09.10.16 प्रकाशित किया गया था लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण इन दोनों विज्ञापन को रद्ध कर दिया गया । आयोग कार्यालय के प्रोग्राम के तीन पद, सहायक प्रोग्राम के 6 पद एवं एनालाईसिस प्रोग्राम के दो पद स्वीकृत हैं । इस संबंध में चयन प्रक्रिया, सिलेबस निर्माण, का कार्य प्रक्रियाधीन है । चन्द प्रक्रिया, सिलेबस निर्माण, हो जाने के उपरान्त आयोग द्वारा यथाशीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की कार्रवाई की जायगी ।

श्री भोला यादव: महोदय, यह नियुक्ति कब तक होगी और माननीय मंत्री यह बतावें कि जिन वाहीय व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वे काफी दक्ष है, सब कुछ उनमें है और ये बाहर के व्यक्ति है, तो ये कितने डाटा बाहर लिकेज कर रहे हैं, इसके बारे में सूचना माननीय मंत्री जी को है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, अगर भोला बाबू को कोई सूचना हो, तो दे दें हमको, हमें तो कोई सूचना नहीं है ।

श्री भोला यादवः नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक कंपलीट होगी महोदय ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, जल्द से जल्द कार्रवाई की जायगी ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-24, कुमार सर्वजीत ।

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप-मुख्यमंत्रीः महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगता है कि किसी कारणवश माननीय सदस्य नहीं आ पाये हैं, हो सकता है कि वे जाम में फॅस गये हो,अगर कहा जायेगा, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ ।

श्री भाई विरेन्द्रः महोदय, जवाब दिलवा दिया जाय ।

अध्यक्षः ठीक है । जवाब दे दीजिये ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप-मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सहारा समूह की तीन सोसायटी के द्वारा वर्तमान में जमाकर्ताओं से निवेश हेतु राशि प्राप्त की जा रही है । यह तीनों सोसायटी सेन्ट्रल रजिस्टार ऑफ कॉपरेटिव सोसायटी, कृषम सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से निबंधित है । निवेशकों से जमा प्राप्तकर्ता एवं परिपक्व राशि का भुगतान करना मूलतः इन सोसायटी का ही दायित्व है, इसमें तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं होती है, इसके बावजूद बिहार सरकार अपने स्तर से भी निवेशकों की जमा पूंजी वापस कराने हेतु बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूरा प्रयास कर रही है । सहारा के विरुद्ध परिपक्वता राशि के भुगतान के संबंध में शिकायतें बिहार के प्रायः सभी जिलों से प्राप्त हो रही हैं, परन्तु अधिकांश शिकायतें पटना जिला से है । बिहार से कुल मिलाकर अप्रैल, 2018 से मई, 2019 के बीच 6133 शिकायतें जिलाधिकारियों के पास प्राप्त हुई हैं, जिसमें मात्र 2503 शिकायतों का ही निष्पादन हो पाया है, 3630 शिकायतें जो हैं, वह अभी भी लंबित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायत पटना जिला के अंदर है, जिसमें पटना के अंदर कुल 3556 शिकायतें प्राप्त हुई, निष्पादन हुआ 1982 और 1574 शिकायतें अभी भी लंबित है । महोदय, जिलों से और विस्तृत प्रतिवेदन मांगा जा

रहा है । सहारा इंडिया में निवेशकों को राशि के भुगतान हेतु संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों को जो गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थान के लिए सक्षम प्राधिकार हैं, के द्वारा लगातार सहारा इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है तथा भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है । विभागीय स्तर पर भी अनुश्रवण किया जा रहा है, भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में सहारा इंडिया कंपनी के विरुद्ध बिहार के जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2002 एवं 2017 के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है और अध्यक्ष महोदय, लगातार मीटिंग, इसके बाद भी निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया जा रहा है और पैसा को रि-इन्वेस्ट करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, हमलोग अपने स्तर पर भी इसकी समीक्ष करेंगे और अगर आवश्यकता होगी, तो सहारा इंडिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके और निवेशकों का पैसा वापस दिलवाने का काम किया जायेगा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-25, श्री अजीत शर्मा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, खण्ड 1: उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । गौराडीह अंचल अन्तर्गत भूमि हथबंदी के पश्चात् 12 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित जिला गजट असाधारण अंक-8 के आलोक में गौशाला की भूमि पूनख मौजा में 1 एकड़ 85 डिसमिल तथा मोहनपुर मौजा में 9 एकड़ 84 डिसमिल अर्थात् 11 एकड़ 69 डिसमिल उपलब्ध है, जो हवाईअड्डा निर्माण हेतु क्षेत्रफल के हिसाब से पर्याप्त नहीं है । एक साधारण हवाईअड्डा के निर्माण के लिए कम से कम 250 एकड़ की आवश्यकता है।

खण्ड 2: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 3: किसी भी हवाईअड्डे के व्यवसायिक सेवा प्रदान करने का निर्णय नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय विमानन प्राधिकार द्वारा लिया जाता है । देश के छोटे शहरों को वायु मार्ग से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अन्तर्गत क्षेत्रीय संपर्कता योजना की परिकल्पना की गयी है, जो मुख्यत: मान आधारित है । इस योजना के अन्तर्गत बाजार एवं क्षेत्रीय मांगों के आधार पर इच्छुक एयरलाईन ऑपरेशन तय करते हैं ।

क्रमश: ...

टर्न-3/सत्येन्द्र/22-7-19

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव(मंत्री)(क्रमशः): रूट तय करते हुए ऑपरेटर अपना प्रस्ताव विमान पत्तन प्राधिकार को जिसे इसके इम्लीमेंटेशन एजेंसी घोषित की गयी है, के द्वारा भायब्लिटी गैप फंडिंग तय करते हुए स्वीकृति प्रदान करती है । राज्य सरकार के स्वामित्व वाले हवाई पटिट्यों के साथ ही भागलपुर हवाई पट्टी को भी आर0सी0सी0 उड्यन के अन्तर्गत नियमित उड़ान पर विचार करने हेतु विभागीय पत्रांक 267 दिनांक 3-11-17 के द्वारा नगर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है । अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन, पत्रांक 285 दिनांक 18-7-19 के अनुसार गौराडीह में हवाई अड्डे के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है महोदय ।

श्री अजीत शर्मा: अध्यक्ष महोदय, गौराडीह में इन्होंने कहा है कि एक एकड़ कितना जमीन उपलब्ध है तो ये उसको फिर से दिखवा लें । गौशाला में हमारे माननीय विधायक दल के नेता भी यहां बैठे हुए हैं यह उनके क्षेत्र में पड़ता होगा, इनको भी पता है कि गौशाला में बहुत काफी जमीन उपलब्ध है । दूसरी बात कि भागलपुर शहर रेवन्यू के मामले में पटना के बाद आता है, वह सिल्क सिटी भी है और वहां पर व्यापार भी काफी है लेकिन क्यों उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है । सरकार चाहे तो, कोई भी जमीन हो, अगर इच्छा शक्ति हो तो केन्द्र सरकार को लिखकर, जमीन एक्वायर करा के आप वहां पर वायु सेवा शुरू कर सकते हैं । क्या सरकार चाहती है कि केन्द्र सरकार से बात कर के गौराडीह या कहीं, विक्रमशिला या कहलगांव में जहां भी जमीन चिन्हित कर के, क्या ये खोलवाना चाहते है, वायु सेवा शुरू करना चाहते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, मैंने कहा कि माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं कि 11 प्वायंट कुछ एकड़ जमीन है लेकिन 250 एकड़ होना चाहिए मापदंड जो उनका है लेकिन फिर भी छोटी सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने 2017 में अनुशंसा कर ही दी है ।

श्री सदानन्द सिंह: गौराडीह हमारे चुनाव क्षेत्र में पड़ता है और सैंकड़ों एकड़ गौशाला की भूमि अनिधिकृत कब्जा में है, यह मैं सूचना दे रहा हूँ, कृपया इसको देखवा लें इसे।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अब महोदय, एस0डी0ओ0 साहब ने जो लिखा है तो अगर..

अध्यक्ष: उन्होंने कहा है तो दिखवा लीजियेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: सदानन्द बाबू कहते हैं तो हम दिखवा लेंगे लेकिन रियल्टी फैक्ट में जो आया है फाईल में..

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न संख्या- 'क'-108, मो0 नवाज आलम ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 'क' 108(श्री मो0 नवाज आलम)

अध्यक्ष: पूछा हुआ है । मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: समय चाहिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1823(श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 1824 (श्री राज किशोर सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री:(1) आंशिक स्वीकारात्मक है । अंचल अधिकारी, पटेढ़ी बेलसर के पत्रांक 170 दिनांक 11-7-2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि घेराबंदी अधूरा है । कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल (1), हाजीपुर ने अपने पत्रांक 1444 दिनांक 11-7-19 से प्रतिवेदित किया है कि 15X15 फीट चौड़ाई कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुका है। शेष कब्रिस्तान की जमीन का कुछ भाग सीमांकन के विवाद में है एवं कुछ अधीन नदी में भी है ।

(2)प्राथमिकता सूची के क्रमांक 37 पर है ।

(3)प्राथमिक सूची में अंकित कब्रिस्तानों में से रशियुक्ता कब्रिस्तान को छोड़कर शेष कब्रिस्तानों के घेराबंदी की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । प्रतिवेदन के अनुसार प्राथमिकता सूची में स्वीकृत 20 कब्रिस्तानों की घेराबंदी आवंटन के अभाव में लंबित है ।

श्री राज किशोर सिंह: आवंटन कबतक जायेगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: निर्देशित किया गया है कि जल्द उस डिस्प्यूट को खत्म कर के उसको करवाया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1825(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: (1)वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण के कल्याणपुर प्रखंड के पुरणछपरा तथा उनके आसपास के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में माओवादी से संबंधित कोई घटना घटित नहीं हुई है । वर्त्तमान में अपराध नियंत्रण में है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि उक्त क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिला का बॉर्डर है जो चकिया, कल्याणपुर तथा केसरिया थाना के 15-25 कि0मी0 की दूरी पर है, फिर उक्त स्थल पर सबसे कम दूरी वाले थाना स्तर से सघन गश्ती द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाता है ।

(3)वस्तुस्थिति यह है कि क्षेत्र में लगातार विशेष अभियान चलाकर अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण की कार्रवाई की जाती है और सूचना संकलन कर अपराधियों के बीच छापेमारी तथा औचक वाहन चेकिंग की कार्रवाई की जाती है । वर्त्तमान में स्थिति सामान्य है । पूरणछपरा में थाना खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वहां कोई माओवादी घटना नहीं घटी है । केसरिया क्षेत्र का दरमाहा गांव जहां 9 आतंकवादी उग्रवादी मारे गये हैं, पुलिस के द्वारा उनका काउंटर हुआ । समरेश गिरि मुखिया पुरणछपरा पंचायत के जिनको सात बजे पुरणछपरा बाजार पर अपराधियों ने मार दिया । पिपरा पंचायत जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र में है, वहां का अरविन्द सिंह नाम के व्यक्ति को 3 बजे दिन में माओवादी ने पीट कर हत्या कर दिया और फिर भी इनका रिपोर्ट है, जो विभागीय रिपोर्ट आया है कि वहां कोई माओवादी घटना नहीं घटी है । इसके अलावे भी 20-25 ऐसी माओवादी घटनाएं हो चुकी है और सरकार के जो रेकर्ड में है, थाने में दर्ज है अभी कई मामलों का इंभिस्टीगेशन हो रहा है, कई लोग उसमें से जेल में है फिर भी यह रिपोर्ट आना कि वहां कोई माओवादी

घटना नहीं घटी है । जहां 9 माओवादी मारे गये, दरमाहा गांव में केसरिया थाना क्षेत्र का और फिर भी सरकार ऐसी सूचना दे रही है।

अध्यक्षः आपका पूरक क्या है?

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूरक यही पूछ रहा हूँ कि इतनी घटनाओं के बाद, इनके पास जब रिपोर्ट गलत आया है तो मैं पूरक क्या पूछूं । इसमें पहले तो ये रिपोर्ट ठीक करावें, 9 लोग मारे गये माओवादी घटना में, पूरे बिहार में इस घटना की चर्चा हुई और रिपोर्ट इस प्रकार का आ गया तो इसमें क्या पूरक पूछूं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिपोर्ट आ गया । वहां के एस0पी0 ने, वहां के दारोगा ने कैसे यह रिपोर्ट दे दिया । केसरिया थाना, चकिया थाना, कल्याणपुर थाना इन सारे थानों में माओवादी घटनाएं घट चुकी है, बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं तो मैं पुनः आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि क्या रिपोर्ट को सुधरवाकर और वहां थाना खोलने का प्रस्ताव है आपके पास ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीःमहोदय, मैंने कहा कि दो थाना 15 और 20 कि0मी0 की दूरी पर है इसीलिए फिलहाल वहां थाना खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । 15-20 कि0मी0 पर थाना है, उससे काम चल जाता है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः महोदय, इसके पहले चकिया थाना की एक टुकड़ी रहती थी, पुलिस बल वहां रहता था और माओवादी घटना के चलते एस0पी0 ने कहा कि हमारे पास वहां रखने का जगह नहीं है, पुलिस बल कम है । कम पुलिस बल के कारण लगता है कि माओवादी घटना होगी तो पुलिस ही मारे जायेंगे इसलिए पुलिस को वहां से हटा दिया गया लेकिन वहां लगातार घटनाएं घट रही है और फिर भी सरकार का थाना खोलने का या पुलिस बल को रखकर वहां आमलोगों को सुरक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे रिपोर्ट आ गया है ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इसके पूर्व में भी जो थाना खोलने का जो अपना जवाब देते हैं, उसमें उग्रवादी घटना का जरूर जिक्र होता है तो

माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूॅ अध्यक्ष महोदय कि थाना खोलने के लिए क्या उग्रवादी घटनाएं जरूरी है ?

अध्यक्षः वे बतलायें न कि दो थाना एक 15 कि0मी0 पर है और एक 20 कि0मी0 पर है इसलिए हम नहीं खोल रहे हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः तो ये उग्रवादी की चर्चा क्यों करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूॅ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, गलत उत्तर जो आया है उसकी जांच माननीय मंत्री जी करवायेंगे ?

अध्यक्षः वह दे दीजियेगा लिखकर, मंत्री जी करा देंगे । आप लिखकर दे दीजियेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-1826 (श्री अशोक कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर प्रखंड के रायपुर, बेगमपुर एवं मोतीपुर मोहिद्दीपुर स्थिति कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक 259, 304, 187 पर अंकित है ।(क्रमशः)

टर्न-4/मधुप/22.07.2019

...क्रमशः...

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : उक्त प्राथमिकता सूची में 63 कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है जिसमें 7 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है । शेष प्रक्रियाधीन है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कंडिका 6.34 में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को

शामिल किया गया है । माननीय विधायक उससे प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा सकते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0 1827 (श्री सैयद अबु दौजाना)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण यदा-कदा आवारा पशुओं के प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि रामनगर बेदौंल कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु वर्ष 2016 में निर्धारित प्राथमिकता सूची के क्रमांक-204 पर अंकित है। उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक-150 तक के कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य चल रहा है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में भी इसको प्रविष्ट किया गया है । माननीय सदस्य उससे प्राप्त निधि से भी इसको करवा सकते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1828 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- एतद संबंधी आंकड़े संधारित नहीं हैं ।

3- चनऊ जाति बिहार राज्य के लिए अधिसूचित पिछड़े वर्ग की सूची के क्रमांक 9 पर दर्ज है । पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए राज्याधीन सेवा में 12 प्रतिशत का आरक्षण अनुमान्य है । इसके अधीन चनऊ जाति के सदस्य भी आरक्षण से लाभ प्राप्त कर सकते हैं । चनऊ जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, चनऊ जाति देश की आजादी के दौरान बढ़-चढ़कर भाग लिये हैं। आजादी के बाद देश की जातियों की सूची मे चनऊ जाति का नाम दर्ज नहीं है । चनऊ जाति की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है । महोदय, चनऊ जाति किसी अन्य जाति की उप जाति में शामिल नहीं है । इसका अपना खतियान एवं कृषि कार्य इनका पेशा है । चनऊ जाति को 1975 में मुंगेरी लाल पिछड़ा आयोग के अनुशंसा पर पिछड़ा वर्ग-2 में शामिल किया गया है । 1976 में विधान सभा में प्रश्नोत्तर के बाद राज्य के प्रत्येक जिला में सर्वे कराया गया । उस वक्त अधिक पहुँच नहीं होने के कारण चनऊ जाति को पिछड़ा वर्ग में सरकार ने रख दिया ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, इसमें थोड़ा बोलने दिया जाय । मुंगेरी लाल पिछड़ा आयोग के गठन के पहले चनऊ जाति का नाम सरकारी सूची में दर्ज नहीं था । यह दर्शाता है कि चनऊ जाति के साथ पूर्व की सरकार किस तरह की उपेक्षा की है ।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी एवं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि चनऊ जाति को कल्याणकारी योजनाओं में लाभ मिले, इसके लिए इस जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1829 (श्रीमती एज्या यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड के सरारी गॉव स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । पटोरी प्रखंड के शाह जकड़ियॉ कब्रिस्तान वर्तमान में दरगाह के रूप में है । उसमें चादर चढ़ाया जाता है, वर्तमान में कफन-दफन नहीं होता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1830 (श्री विनोद प्रसाद यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी थाना परिसर में सर्किल इंस्पेक्टर का कार्यालय भवन पुराना है । वर्तमान में उक्त भवन से ही प्रशासनिक एवं विधि-विभाग का संधारण किया जाता है तथा कार्यों के निष्पादन में कोई कठिनाई नहीं है ।

भवन की मरम्मति हेतु तकनीकी एवं अनुमोदन प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निर्देश बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को दिया गया है । प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् मरम्मति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, वहॉ सर्किल इंस्पेक्टर का जो कार्यालय है और आवासीय भवन का भी, इसमें छूट गया था प्रिंटिंग में, दोनों भवन काफी पुराना और जर्जर है । कई बार उसके छत का टुकड़ा गिरता है जिससे काफी परेशानी हो रही है ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या सर्किल इंस्पेक्टर के कार्यालय भवन और आवासीय भवन दोनों का नया भवन बनाने का विचार रखते हैं ? मरम्मति से तो काम नहीं चलेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जो छूट गया तो उसका जवाब भी छूट जा रहा है । इन्होंने केवल इंस्पेक्टर के कार्यालय भवन का जिक्र क्वेश्चन में किया तो उसका उत्तर मैंने दिया । अलग से प्रश्न करें ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, कार्यालय भवन भी बहुत जर्जर है, उसकी मरम्मति कराने से काम नहीं चलेगा ।

अध्यक्ष : इन्होंने कहा है कि प्राक्कलन बनवा रहे हैं । प्रश्न सं0 1831 ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, प्राक्कलन मरम्मति के लिये मंत्री जी कह रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि नया बनवावें ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1831 (श्री शिवचन्द्र राम)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र राम ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, इसका जवाब दिलवा दिया जाय ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपकरण एवं उपस्कर खरीदने से संबंधित है, कम से कम इसका जवाब दिलवा दिया जाय । महोदय, सदन का प्रश्न है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1832 (डॉ0 रामानन्द यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3- उपर्युक्त खंडों में उत्तर स्पष्ट किया जा चुका है । स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कार्य स्वरूप में भिन्नता है । फलस्वरूप केन्द्र के अनुरूप नामाकरण करना अव्यवहारिक है । वर्तमान में राज्य में कार्यरत सहायकों के नामाकरण परिवर्तन संबंधी कोई मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

डॉ0 रामानन्द यादव : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने वहॉ के सहायकों के पदनाम परिवर्तन करने के लिए 2015 में निर्णय किया तथा हमलोगों के राज्य से कटकर अलग हुये झारखंड राज्य द्वारा भी सहायकों के पदनाम को परिवर्तित कर दिया गया । इसी तरह से कई राज्य- तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा, कई-एक राज्य में इनका पदनाम परिवर्तित कर दिया गया । इससे सरकार को कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा । इसमें चीफ सेक्रेटरी लेवेल पर तीन बार बैठक हो गई ।

महोदय, माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि कबतक यहॉ यह होगा ? चूंकि यहॉ के कर्मचारी सरकार से अपेक्षा रखते हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

डॉ0 रामानन्द यादव : महोदय, विचाराधीन के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि झारखंड में जब हो गया, कई-एक राज्य में पदनाम परिवर्तन हो गया..

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : हमारे यहॉ प्रस्ताव नहीं है ।

डॉ0 रामानन्द यादव : नहीं है ? केन्द्र सरकार कोई भी आदेश दे, जब वेतनमान वृद्धि होता है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सदानन्द बाबू को पूछने दिया जाय ।

श्री सदानन्द सिंह : मंत्री जी ने कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ0 रामानन्द यादव जी ने अपने पूरक प्रश्न में कहा कि कई राज्यों में परिवर्तन हो गया है, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु में, इसमें कोई वित्तीय भार नहीं होना है तो क्या सरकार इसपर पुनर्विचार करना चाहती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, भारत सरकार का कैडर और राज्य सरकार का कैडर अलग-अलग है । कोई अनिवार्यता तो है नहीं । मैंने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री सदानन्द सिंह : पुनर्विचार कीजिये ।

डॉ0 रामानन्द यादव : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है ।

अध्यक्ष : सरकार ने कह दिया कि कोई विचार ही नहीं है तो आपका क्या पूरक है ? पूछिये। फिर वही जवाब आ जायेगा ।

डॉ0 रामानन्द यादव : अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्र सरकार द्वारा छठा या सातवॉं वेतनमान दे दिया जाता है तो क्या माननीय मंत्री जी यहॉं बिहार में कर्मचारियों का वेतनमान वृद्धि नहीं करते हैं? यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वेतनमान की समरूपता से क्या मतलब है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, आपको तो हमने पुकारा भी नहीं है !

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सुनिये न ! तब तो मॉंग हो कि विधान सभा का नामकरण लोक सभा कर दिया जाय ! यह सम्भव है क्या ?

अध्यक्ष : अवधेश जी बोलिये । जरा सबलोग इनकी बात सुनिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी से माननीय रामानन्द जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इसमें कोई वित्तीय भार नहीं होगा.... सुन लिया जाय, अध्यक्ष जी ।

अध्यक्ष : हम सुन तो रहे हैं । आपको क्या लग रहा है कि आप कोई उचित बात नहीं बोल रहे हैं ?

श्री अवधेश कुमार सिंह : हमको लगा कि अध्यक्ष महोदय जल्दी में हैं तो सोचे कि.....

अध्यक्ष : जल्दी में तो हम हैं ही क्योंकि आगे माननीय सदस्यों के और प्रश्न हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं..... सुन लिया जाय । चपरासी का पदनाम.....

अध्यक्ष : यह तो मूल बात है कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, इसमें पूरक का कहॉं प्रश्न है?

टर्न-5/आजाद/22.07.2019

श्री अवधेश कुमार सिंह : माननीय मंत्री जी, इस तरह से निगेटिव होंगे, ये कहां का सोच है । जिस राज्य का मुख्यमंत्री संवेदनशील हो, इसमें कोई वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है, झारखंड राज्य भी दे दिया तो इनको देने में क्या दिक्कत है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : सुन तो लीजिए, आज इनको डेढ़ वर्ष से दर्द छलक गया है । ये डेढ़ साल तक तो मंत्रिमंडल में थे तो क्यों नहीं करवा लिये ?

श्री भोला यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने राज्य के कर्मचारियों को मनोबल को ऊॅंचा करने के लिए ये नाम

परिवर्तन करने में सरकार को क्या आपत्ति है, जबकि बगल के राज्य झारखंड ने कर दिया है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : क्या नाम ऊँचा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1833(श्री उपेन्द्र पासवान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के विभिन्न अनुमंडलों में कार्यपालक दंडाधिकारी के पद के विभिन्न पर्यवेक्षकों सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाता है । वर्तमान में कुल 60 पर्यवेक्षकीय सेवा के पदाधिकारी ही विभाग में प्रतिनियुक्त हैं जिन्हें अनुमंडल में कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है । पदाधिकारियों के अनुपलब्धता के कारण बखरी अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापना की कार्रवाई नहीं की जा सकी है । पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध होने पर कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा ।

श्री उपेन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, बखरी अनुमंडल में पूर्व से डी0सी0एल0आर0 भी नहीं हैं और कार्यपालक दंडाधिकारी भी नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूँ चूँकि बखरी अनुमंडल दलित बहुल क्षेत्र है और वहां पर पदाधिकारियों के नहीं रहने के कारण जो सामान्य काम है, वह भी नहीं हो पाता है । ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री महोदय कब तक वहां पर पदस्थपित करना चाह रहे हैं?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन किया जायेगा ।

श्री उपेन्द्र पासवान : यह उपलब्ध कब होगा ?

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो कार्यपालक दंडाधिकारी का जो पद है, सुपरवाईजर ग्रेड के लोगों से भरा जाता है और अनुमंडल में कार्यपालक दंडाधिकारी का रौल बहुत महत्वपूर्ण होता है अनुमंडलीय कार्यालय में तो क्या सरकार बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से इस पद को भरना चाहती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : इसके लिए अलग से प्रश्न कीजिए ।

अध्यक्ष : इसके लिए अलग से प्रश्न कीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-1834(श्री महबूब आलम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1835(श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीना प्रखंड के घोषोत गांव के कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्व से ही की गई है । उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी के कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों के द्वारा तोड़ दी गई है जिसके कारण पशु के घुमने से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

प्रश्नगत कब्रिस्तान के टूटे हुए भाग की घेराबंदी हेतु उक्त कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिक सूची के क्रमांक-1 पर अंकित है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसे क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी किये जाने की नीति है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत भी यह सन्निहित है । माननीय विधायक इसे प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा सकते हैं ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, अक्सर उस कब्रिस्तान को लेकर के वहां विधि-व्यवस्था का सवाल उत्पन्न हो जाता है और इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि विधायक इसे मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से नहीं करा सकता है । मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा, वे कहें भी है कि एक नम्बर पर अंकित भी है और वहां शरारती तत्वों द्वारा उस कब्रिस्तान में क्रिकेट खेला जाता है । जिससे हमेशा वहां पर तनाव होता है और पशु घुमता रहता है । इसलिए मेरा यही आग्रह होगा कि जितना जल्द से जल्द हो, इसको माननीय मंत्री जी कब तक करा देंगे जिला प्रशासन से, क्योंकि वह बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वह मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से नहीं हो सकता है ।

अध्यक्ष : यह तो एक नम्बर पर है भी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, डायरेक्शन दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1836(श्री प्रभुनाथ प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत बलीगॉव पंचायत में मसहीं टोला अवस्थित नहीं है ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बलीगांव बहुत बड़ा गांव है, वहां पर मसहीं टोला मिसप्रिन्ट हो गया है, मथीन टोला है ।

अध्यक्ष : क्या ?

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : महोदय, बलीगांव बहुत बड़ा गांव है और वहां पर मसहीं टोला नहीं मथीन टोला है, मिसप्रिन्ट हो गया है ।

अध्यक्ष : उनको सूचना है कि मसहीं टोला नहीं है, माननीय मंत्री जी, इसको देखवा लीजियेगा, जॉच करवा लीजियेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इसमें उत्तर जो आया है, भोजपुर जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत बलीगांव पंचायत में मसहीं टोला अवस्थित नहीं है । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसको देखवा लेंगे ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : मसहीं टोला नही, मथीन टोला है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसको देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-1837(श्रीमती गुलजार देवी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास एवं मधेपुर थाना के परिसर के सुरक्षा हेतु चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति की गई है । दोनों थानों का भवन सुरक्षित है तथा पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्तमान समय में कोई कठिनाई नहीं है । फुलपरास एवं मधेपुर थाने के चहारदिवारी निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निर्देश बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को दिया गया है । प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् चहारदिवारी निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1838(श्री अमीत कुमार)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1839(श्री चन्द्रशेखर)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घैलाढ़ प्रखंड के प्राथमिकता सूची के क्रमांक-2 पर अंकित है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक-1 की घेराबंदी हो चुकी है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर

प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना संशोधित मार्गदर्शिका 14 की कंडिका 6(34) में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना शामिल किया गया है । माननीय विधायक इसे प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा सकते हैं ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

3. कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, यह तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से घेराबंदी की जायेगी, यह प्रोविजन है । हमने इसलिए यह प्रश्न किया था चूँकि राशि सीमित होती है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में और सरकार की सूची में यह शामिल है तो क्या सरकार संवेदनशीलता के आधार सरकार इसको प्राथमिकता के तौर पर इसको बनवाने का विचार रखती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इसको देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-1840(श्री राघव शरण पाण्डेय)

अध्यक्ष : इस प्रश्न के लिए श्री प्रकाश राय जी अधिकृत हैं ।

श्री प्रकाश राय जी । दोनों अनुपस्थित हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-1841(श्री सूबेदार दास)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत मकदुमपुर प्रखंड में 26.11.89 को लोकसभा चुनाव के दौरान उग्रवादियों के द्वारा 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी । स्वर्गीय रामचरित्र यादव पिता मगरू यादव, ग्राम-कोईरीबिगहा, पो0-अल्हागंज, प्रखंड-मकदुमपुर के आश्रितों को तत्समय प्रभावी संकल्प के अनुसार 20हजार रू0 का भुगतान किया जा चुका है ।

श्री सूबेदार दास : अध्यक्ष महोदय, वह जो घटना घटी थी, उसमें स्व0 चरित्र यादव जी के आश्रित को, इसके पहले जगदेव यादव जी की भी वहां पर हत्या हुई थी, जिसमें उनको सरकारी नौकरी एवं मुआवजा मिला था और सेम उसी दिन घटना घटी, लेकिन इनको सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी गई ? आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि इनको सरकारी नौकरी का लाभ देने का प्रावधान है तो इसको दिया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि 1989 में ही यह घटना हुई थी और उस समय सरकार का जो निर्णय था, जो मापदंड था, उसके अनुसार 20-20 हजार रू0 दे दिये गये ।

टर्न-6/शंभु/22.07.19

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय.....

अध्यक्ष : 1989 की घटना पर अभी कौन सा निर्णय होगा जो आप पूरक पूछ रहे हैं । आप जोड़े हैं उस घटना के कितने वर्ष हो गये हैं ?

श्री विनोद प्रसाद यादव : घटना का नहीं है महोदय, ये जो यहां पर थाना खुला है....

अध्यक्ष : थाना का उसमें क्या जवाब देंगे मंत्री जी ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, उसमें कहना था कि.....

अध्यक्ष : मूल प्रश्न में केवल सरकारी लाभ की बात की गयी है और आप पूरक में थाना के बारे में पूछियेगा तो कैसे होगा ?

तारांकित प्रश्न सं0-1842(श्री कुमार सर्वजीत)(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1843(श्री फराज फातमी)

(मा0स0 मो0 नेमतुल्लाह प्राधिकृत)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1-वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी प्रखंड के मोहम्मदपुर पिकेट क्षेत्रान्तर्गत 5 पंचायत- 1. कोरिया, 2. पिण्डारूच, 3. माधोपट्टी, 4. कर्जापट्टी, 5. वरिऔल का संपूर्ण क्षेत्र एवं एक पंचायत मझिगामा का आधा क्षेत्र पड़ता है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि नागरिक सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण हेतु मोहम्मदपुर पिकेट पर 1-3 डी0ए0पी0 सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त है एवं थाना स्तर से एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है । किसी प्रकार की घटना घटने पर पुलिस द्वारा उपलब्ध संसाधन के द्वारा उद्भेदन कर कानूनी कार्रवाई की जाती है एवं थाना स्तर से सघन गश्ती करते हुए अपराध नियंत्रण तथा विधि-व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किया जाता है । वर्तमान में पुलिस पिकेट को ओ0पी0 में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, गंभीरता को देखते हुए, 18 पंचायत इस पिकेट में आता है और इसमें 1 लाख 67 हजार की आबादी है तो क्या मोहम्मदपुर में एक ओ0पी0 बनवाने का विचार रखते हैं या आबादी को देखते हुए स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस पिकेट को ओ0पी0 बना दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1844(सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड अन्तर्गत मथुरा कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु वर्ष 2016 की प्राथमिकता सूची के क्रमांक-166 पर अंकित है। प्रश्नगत कब्रिस्तान में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक-7 तक की घेराबन्दी पूर्ण हो चुकी है । कब्रिस्तान की घेराबन्दी के लिए जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबन्दी कराये जाने की नीति है । मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत भी इसको रखा गया है । अतः माननीय विधायिका चाहें तो उस निधि से भी चूंकि प्राथमिकता सूची में है, कब्रिस्तान की घेराबन्दी करा सकते हैं ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, 12 एकड़ में वह कब्रिस्तान है । कुछ दिन पहले वहां कुछ-कुछ घटना होते-होते बचा है, वहां के मुखिया और स्थानीय लोग को वहां से हटाया गया है उसके कारण काफी विवाद भी हुआ है । इसलिए बहुत बड़ी जगह है और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि से उतनी बड़ी घेराबन्दी नहीं हो सकती है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : इसलिए माननीय मंत्री से आग्रह करती हूँ कि उसको प्राथमिकता में लेते हुए बनाने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1845(श्री विनोद प्रसाद यादव)

अध्यक्ष : आप इतना पूरक दूसरे सवाल में पूछ रहे थे और हम एलाउ कर देते तो आपका यह प्रश्न आता ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के पंचायत खराटी में बरिया टोला रहमान विगहा कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर डोभी

प्रखंड के लिए निर्मित प्राथमिकता सूची के क्रमांक-14 पर है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक-7 तक की घेराबन्दी हो चुकी है । कब्रिस्तान के घेराबन्दी के लिए जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबन्दी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की कंडिका-63(34)में भी कब्रिस्तान की घेराबन्दी की योजना शामिल गयी है । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि उनकी इच्छा को देखते हुए चूंकि 3 करोड़ विधायक फंड हो गया है, अपने योजना में से करवा लें ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : अभी प्रश्नकर्त्ता खड़े हैं । अभी प्रश्नकर्त्ता को तो पूरक पूछने दीजिए ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह रहमान विगहा का कब्रिस्तान काफी संवेदनशील है और इसमें दो-तीन बार विधि व्यवस्था का मामला बन चुका है । मैं माननीय मंत्री महोदय से संवेदनशीलता के कारण- क्या माननीय मंत्री महोदय चूंकि क्रमांक-7 तक ही अभी डोभी प्रखंड में घेराबन्दी करायी है और उसमें 14 क्रमांक पर है । माननीय मंत्री जी संवेदनशीलता के आधार पर जिला पदाधिकारी को निदेशित करने की कृपा करेंगे कि उसको प्राथमिकता में लेकर बनवा दिया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : मैंने तो आग्रह किया कि अपने फंड से करवा लीजिए ।

अध्यक्ष : अभी जिला प्रशासन को कह दीजिए । क्या प्रहलाद जी पूछ रहे थे ?

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी बराबर बता रहे हैं हमलोगों की निधि के संबंध में हम लखीसराय में 95 लाख का एक योजना दिये थे वह योजना स्वीकृत नहीं हुई ।

अध्यक्ष : अभी लखीसराय के सवाल का जवाब मंत्री जी कैसे देंगे ?

श्री प्रहलाद यादव : निधि की बात कर रहा हूँ । वह योजना स्वीकृत नहीं हुआ, वह चला आया विभाग में तो सवाल है कि माननीय मंत्री जी जिस तरह योजना की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया बड़ी ही जटिल है तो क्या उस जटिल प्रक्रिया को सुलभ करके उसको करवाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : क्या जटिल प्रक्रिया है ?

श्री प्रहलाद यादव : जटिल यह महोदय कि जब हम अपने 95 लाख मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के द्वारा एक योजना में पैसा दिये हुए हैं और छः महीना से आज तक वह स्वीकृत नहीं हुआ है तो बताइये कैसे होगा ?

अध्यक्ष : क्यों नहीं स्वीकृत हुआ ?

श्री प्रहलाद यादव : अब क्यों नहीं हुआ.....

अध्यक्ष : आप उसकी अलग से सूचना दीजिए माननीय मंत्री जी को । बोलिये ललित जी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यही पूछना है कि यह जो 8 हजार कब्रिस्तान सूचीबद्ध है और सूचीबद्ध से बाहर जो कब्रिस्तान है । जो हमलोगों के नजर में है, बहुत संवेदनशील है उसमें एक्जेम्प्टेड करनेवाले तो उसमें विधायक निधि से या मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से घेराबन्दी करने का कोई पत्र गया है ।

अध्यक्ष : कह रहे हैं नहीं ।

श्री ललित कुमार यादव : आप न डी0एम0, एस0पी0 पर विश्वास करते हैं कब्रिस्तान जो सेंसेटिव है उसका नहीं करता है, हमलोग जिसको करना चाहते हैं, हमलोग विधायक मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से भी नहीं कर सकते हैं तो ये केवल यूं ही जवाब सुनने के लिए हमलोग बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष : सरकार ने कहा कि उससे बाहर नहीं करना है, मंत्री जी ने कहा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, उसमें डी0एम0 और एस0पी0 रहता है माननीय विधायक नहीं रहते हैं । महोदय, जो कब्रिस्तान जरूरी है उसकी घेराबन्दी नहीं होती है । मैं माननीय मंत्री जी के जवाब को चुनौती देता हूं । इसमें स्थानीय विधायक को भी रखिये नहीं तो हमलोगों का जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है ।

अध्यक्ष : अब अनिल यादव जी का प्रश्न आने न दीजिए, एक हो जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, ठीक है, बार-बार.....

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1846(श्री अनिल कुमार यादव)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : कितना डिबेट इसपर हो चुका और तब भी.....

अध्यक्ष : चलिए पहले इनका दीजिए न फिर आप वही प्रश्न का जवाब दे रहे हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा संचालन के प्रयोजनार्थ गोपनीय कार्यों पर व्यय हेतु तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा समर्पित मांग प्रपत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 तक अध्यक्ष को 5 करोड़ 45 लाख रूपये एवं 2016 से मार्च 2019 तक 8 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये ।

2-अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार वित्त नियमावली-2 के प्रविष्ट सं0-5 के बाद मद सं0-39 में उल्लेखित गुप्त सेवा व्यय संबंधी

प्रावधानों के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के स्वच्छ संचालन के प्रयोजनार्थ गोपनीय कार्य सामग्री की सुरक्षा, विश्वसनीयता एवं कार्य की महत्ता को ध्यान में रखकर तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा कलम एवं बक्से की खरीद की गयी ।

3- कंडिका-1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अनिल कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि गोपनीयता के नाम पर कलम एवं बक्सा की खरीद पर कितने रूपये खर्च हुए और क्या बिहार लोक सेवा आयोग या अन्य आयोग में भी ऐसा प्रावधान है ?

टर्न-7/22-07-2019/ज्योति/

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि परीक्षा के क्रम में ए.जी., सी.ए.जी. की भी जाँच नहीं होती है, यह गोपनीय सूचना कानून के अंतर्गत इसको बाहर रखा गया है इसलिए इसपर कोई कार्रवाई नहीं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी कह दिए वह गोपनीयता में है ।

श्री अत्री मुन्नी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, जो खरीदी गयी सामग्रियाँ है, क्या वित्तीय नियमावली के बाहर भी जाकर खरीद सकता है विभाग , सवाल यह है कि वित्तीय नियमावली के तहत या उससे बाहर जाकर खरीद सकती है ? माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : वह तो बता दिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1847 श्री समीर कुमार महासेठ

श्रीमती बीमा भारती, मंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम के नियंत्रणाधीन बंद चीनी मिलों के क्षेत्र के गन्ना उत्पादक कृषकों एवं मजदूरों के हित में उन्हें एक पारदर्शक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी/सार्वजनिक/सहकारिता क्षेत्र के निवेशकों को निर्धारित लंबी अवधि की लीज पर हस्तांतरित करते हुए गन्ना आधारित उद्योग या अन्य उद्योग के रुप मे पुनर्जीवित कराने का निर्णय लिया गया । इस निर्णय के आलोक में वित्तीय सलाहकार SBI caps के माध्यम से अबतक पाँच निविदा प्रक्रियायें संपन्न हुई हैं परन्तु, इन पांचों निविदा प्रक्रियाओं में मधुबनी जिला अन्तर्गत बंद

पड़े लोहट चीनी मिल के पुनर्जीवन हेतु कोई भी सफल निवेशक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं ।

वर्तमान में राज्य में Priority sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार राज्य चीनी निगम की बंद पड़े लोहट एवं अन्य चीनी मिल तथा उपलब्ध अतिरिक्त फार्म लैण्ड को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तानान्तरण प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं पूरक पूछता हूँ । बियाडा को चीनी मिल को भूमि देने की बात हुई लेकिन अतिरिक्त भूमि, किन शर्त्तों पर दी जानी है और क्या सरकार बियाडा को चीनी मिल स्थापित करने के शर्त पर ही लोहट चीनी मिल को देना सुनिश्चित करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : क्या ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जमीन चीनी मिल की है, बियाडा का शर्त है कि बियाडा को इस शर्त पर कि चीनी मिल ही खोलेगी, यह बात शर्त में है कि नहीं चूंकि यह बहुत ही पुरानी चीनी मिल है, पूरे जिला की सबसे बड़ी चीनी मिल है, सरकार पिछले बार दो साल पहले यह कही थी कि तीन बार हम टेण्डर कर देंगे उसके बाद सरकार सोचेगी, तब तक यह टेण्डर में नहीं जायेगा । अब सरकार यह कह रही है कि टेण्डर हम कर चुके, कोई शर्त आधारित नहीं आया है तो शर्त अगर कड़ी होगी तब ही नहीं आया, शर्त अगर दूसरे बार रिलैक्स करते तब ही आता। हम शर्त अगर इतना कड़ा कर देंगे कि किसान की समस्या का निदान नहीं होगा चीनी मिल नहीं खुलेगी तो क्या ..

अध्यक्ष : यानी आपका सुझाव होगा कि सरकार थोड़ा नर्म शर्त करे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : नर्म शर्त करके यह करती ताकि चीनी मिल खुले ।

अध्यक्ष : यही न ।

श्री समीर कुमार महासेठ : जी ।

अध्यक्ष : आप लिखित दे दीजियेगा सरकार को, सरकार उसपर विचार करेगी । ठीक है । प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है । सरकार के पास जवाब है, वह दिलवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप जवाब ले लेंगे । सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनॉक 22 जुलाई, 2019 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगत की सूचना प्राप्त हुई है :

श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री सत्यदेव राम, श्रीमती अमिता भूषण, सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, श्री प्रहलाद यादव, श्री भोला यादव, श्री मो0 नवाज आलम, श्री राजेन्द्र कुमार एवं श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक से संबंधित विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर का कार्यक्रम है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्य काल ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, इतना इम्पौर्टेंट सवाल है ।

अध्यक्ष : आपका तो नाम भी नहीं है सत्यदेव जी ।

श्री सत्यदेव राम : है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आए और एक साथ बोलने लगे ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले सीट पर जाईये । क्या शून्य काल नहीं चलना है बताईये आप, अगर आपकी नहीं इच्छा होगी तो नहीं चलेगा, अपनी सीट पर जाकर बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के एक एक बात को सरकार सुनना चाहती है और आसन भी पर्याप्त समय दे रहा है और फिर भी माननीय सदस्य वेल में आ जाते हैं । अवधेश बाबू इतने सीनियर मोस्ट मेम्बर हैं और हर सवालों का जवाब सरकार दे रही है । हर बात सुन रही है और उसके बाद भी ये सदन की कार्यवाही को जानबूझ कर बाधित करना चाहते हैं और शून्य काल में भी माननीय सदस्यों का महत्वपूर्ण सवाल होगा लेकिन ये अपनी जगह पर जाकर कोई बात रखेंगे तो सरकार भी सुनेगी और संज्ञान भी लेगी लेकिन ये वेल में

आकर क्या करना चाहते हैं । हर दिन अगर खबर बनाने की बात है तब तो ठीक है और अगर कोई कार्यक्रम कोई कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से लाते हैं तो सरकार उसपर सुनेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-8/22.07.2019/बिपिन

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 287(ख) के तहत नियम समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य । बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019 । प्रभारी मंत्री वित्त विभाग ।

विधायी कार्य

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ । अब विचार का प्रस्ताव ।

विचार का प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं -

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

(व्यवधान)

आवाज नहीं आती है तो हम फिर से रखते हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्यगण अपनी राय रख लें, तब प्रभारी मंत्री सबों के उत्तर के साथ अपना भाषण करेंगे ।

एक नम्बर में माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का अनुरोध आया हुआ है बोलने के लिए, अत: मै श्री रामदेव राय जी का नाम पुकारता हूं । श्री रामदेव राय जी अपना भाषण शुरू करें ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, पहले ही मेरा नाम पुकारने के लिए आपको कोटिश: धन्यवाद । मैं तो समझा था कि अनेक मेम्बरों की राय समझ कर मैं भी उसी में से कुछ निकाल कर आपके माध्यम से सरकार के सामने रखूंगा ।

महोदय, विनियोग विधेयक से हमारी सरकार संचित निधि से जो खर्च करना चाहती है और उसका आदेश लेती है विनियोग के जरिए और इसके लिए 2017-18 में संचित निधि से कुल 5603 करोड़ 30 लाख 24 हजार रूपए मिले थे और बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2018 के द्वारा इनको 177535 करोड़ 28 लाख 58 हजार रूपए की निकासी का आदेश मिला । 2019-20 के लिए 2 लाख 1 हजार 71 करोड़ 2 लाख 28 हजार रूपए की निकासी 31 मार्च तक खर्च करने के लिए मिला । पुन: 01 अप्रील 2019 से शुरू होने वाली वर्ष में भुगतान के लिए भी इनको 77,348 करोड़ 52 लाख 96 हजार रूपया अनुसूचित (ख) के अनुसार चार माह खर्च करने के लिए मिला । मगर महोदय, आपसे यह अनुनय करता हूं, विनय करता हूं, काफी पैसा, यह मानता हूं कि हमारा बजट लगातार बढ़ता गया है । इसमें कोई शक नहीं है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में 102 करोड़, द्वितीय में 177 करोड़, तीसरे में 332 करोड़, चौथे में 470 करोड़, पांचवें में 1187

करोड़, छठे में 2247 करोड़, सातवें में 6033 करोड़, आठवें में 5404, नौवें में 1053, दसवें में 2045, ग्याहरवें में 7633, 12वें में 22844 तो महोदय, आप स्वयं चिंतित होंगे बिहार की हालात देखकर, बिहार की आज क्या हालात है, इसपर जरूर आपको चिंता होती होगी, हालांकि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आप सदन के मेम्बर हैं, आप निश्चित रूप से चिंतित होंगे कि बिहार की अर्थ-व्यवस्था कितनी चरमरा रही है ।

सकल घरेलु उत्पाद का आप पूरा आंकड़ा अच्छा से दे दिए मगर मैं वित्त मंत्री महोदय से कहता हूं कि अगर मैं गांव में जाऊं और लोगों से कहूं कि सकल घरेलु उत्पाद तो उसका अर्थ क्या समझेगा वह, जी.एस.टी.-जी.डी.पी के बारे में पूछूं तो वह क्या बताएगा, इसका क्या अर्थ है । नहीं बताएगा । लेकिन हमारा बजट, हमारा पैसा इस पर निर्भर करता है, तो जब जनता जानेगी ही नहीं, तो इसका विश्लेषण कैसे करेगी कि हम पैसा दिए, वह खर्च हुआ या नहीं खर्च हुआ। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं महोदय से कि पिछले वर्ष जो इनको इतना अधिक पैसा मिली, उसका खर्च कहां-कहां किस विभाग में कितना हुआ, कितना बाकी रहा, इसका इन्होंने कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया, न आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी चर्चा है ।

महोदय, हमलोग अंधकार में हैं कि सरकार को जो पैसा हमलोग देते हैं वह पैसा का अपव्यय होता है दुरूपयोग होता है । समय पर खर्च नहीं होता है गुणवत्ता की कमी रही है और हमारे सरकार के प्रति संवेदनशील हमारे जो नीचे के आफिसर हैं वे नहीं है । इसलिए चिंता किसी की भी बढ़ सकती है । सरकार उनकी हो चाहे हमारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है । इस हालत में आप देखेंगे हुजूर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के उत्थान के लिए गांव का उत्थान होना जरूरी है और गांव के उत्थान के लिए पक्ष और विपक्ष में समन्वय होना बहुत जरूरी है । जब तक कांग्रेस का शासन रहा, भारत का नक्शा ही बदला हुआ था और जब से कांग्रेस हटी, इनका नक्शा ही बदल गया, बिल्कुल चौपट हो गया । याद कर लीजिए हुजूर .... क्रमशः .....

टर्न : 09/कृष्ण/ 22.07.2019

श्री रामदेव राय : (क्रमशः) मैं आंकड़ा से बताता हूं । हमारे माननीय सदस्य सहमत होंगे । यह मैं मानता हूं । 2014-5 में बिहार का 17.72 तो भारत का 10.78 । कितना

शर्मनाक है, बोलिये । 2015-16 में बिहार का 10.59 तो भारत का 8.71 । आप क्यों नहीं वृद्धि करते हैं ? कारण क्या है ? आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, कौन रोक दिया, किसने रोका ? आप डिजिटल इन्डिया बना रहे हैं जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी करके जा चुके हैं । आप मेक इन इन्डिया बना रहे हैं, स्वागत है । कहां है मेक इन इन्डिया ? आप स्वर्ग उतार देना चाहते हैं धरती पर। स्वागत है । मगर स्वर्ग कहां है ? बताईये । एक गंगा की सफाई आप नहीं करा सके और स्वर्ग उतारने चले हैं धरती पर । अगर स्वर्ग उतारने चले हैं तो जबतक बिहार का किसान खुशहाल नहीं होगा तबतक कभी भी बिहार में खुशहाली नहीं आ सकती है । यह संभव नहीं है । किसी के भी बस के बाहर है । बिहार के किसानों की माली हालत क्या है ? तीन बार आपने कृषि रोड मैप बनाया । कहां है कृषि रोड मैप ? माननीय कृषि मंत्री जी तो अभी हैं नहीं। अगर रहते तो मैं उनसे पूछता कि आपका कृषि रोड मैप कहां है ? किस कोने में बैठा हुआ है ? कृषि रोड मैप अगर रहता, हमारे किसानों की यह हालत नहीं रहती । हुजूर, 20 वर्षों से जो राजकीय नलकूप बेकार पड़े हुये हैं, वे आज भी पड़े हुये हैं । कितने खर्च हुये थे कांग्रेस के शासनकाल में, गांव-गांव में हरित क्रांति लाने के लिये सरकारी नलकूप की व्यवस्था की गयी और नदियों और नालों में मशीन लगाकर पानी निकालने की व्यवस्था की गयी थी । लेकिन आज वे सारे चीज बंद हैं । आप गांवों के उत्थान के लिये, हम जानते हैं कि आपने तीन बड़े प्रोग्राम बनाये हैं । उसमें सबस पहला है कृषि रोड मैप । तब है कौशल विकास और तब है 7 निश्चय योजना । 7 निश्चय योजना के जरिये आप ने गांवों में काम शुरू किया है मगर कहीं आप बता दीजिये, हमारे कोई मेम्बरान बता दें हम बैठ जायेंगे, क्या हस्र है उसका ? आप जाकर देखिये, काम शुरू हुआ है, पड़ा हुआ है । काम शुरू हुआ है, टूट रहा है । महोदय, कोई देखनेवाला नहीं है । नल कहां है, जल कहां है, नाली कहां है, सड़क कहां है? महोदय, लज्जा आती है । बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे मुख्यमंत्री ने रखा बिहार के विकास के लिये । लेकिन नीचे के लोग, नीचे के अफसरान उनको मदद नहीं कर रहे हैं, उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं । यह मेरा मानना है । इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि 7 निश्यच योजना बहुत बड़ा प्रोग्राम है । इस योजना को आप लागू करते और थोप दिये आप बगल में एम0एल0ए0 साहब पर कि आप भी 7 योजना में भागीदार बनिये और आप

रूपया मात्र देते हैं 3 करोड़ । बताईये विधायक जी कहां से पैसा लाकर बनायेंगे 7 निश्चय योजना में । कुछ तो समझिये । पैसा का फर्क और काम का फर्क तो रखना चाहिए । अगर फर्क नहीं रखते हैं तो आपका विकास अवरूद्ध माना जायेगा । हम नहीं माने, आप नहीं माने, लेकिन इतिहास क्षमा नहीं करेगा ।

दूसरी बात, हुजूर, आप देख लीजिये । कृषि के क्षेत्र में हमारी क्या दिक्कत है उसको मैं बताना चाहता हूं । कृषि के क्षेत्र में आप हमारा जो भी विकास हुआ है आप सब स्टार्ट अप इन्डिया बनाना चाहते हैं, धरती पर स्वर्ग उतारना चाहते हैं, आप मेक इन इन्डिया बनाना चाहते हैं, सब का स्वागत है । मगर आप एग्रो इन्डिया नहीं बनाना चाहे । क्या कसूर है बिहार के किसानों का? क्या कसूर है बिहार के मजदूरों का ?आज गरीबी बढ़ती जा रही है । गरीबी दूर करने का प्रोग्राम मिसेस गांधी ने दी थी और गांव गांव में गरीब लोग खुशहाल होने लगे । गरीब लोगों के घर पर गाय, बैल, भैस, रिक्शा, टमटम, बैंक उसके दरवाजे पर खड़ा है । आज बैंक का क्या हालात है ? हुजूर , आप स्वयं जानते हैं । अब मैं यही जानना चाहता हूं । अगर आप कृषि को प्रधानता नहीं देंगे तो हमारी हालत खराब रहेगी । कांग्रेस के टाईम में हुजूर नेशनल फॉर एग्रीकल्चर राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन बनाया गया था । नेशनल प्रोजेक्ट आर्गेनिक फार्मिंग जैसी योजनायें बनायी गयी थी । आज सारे के सारे बंद है ।

महोदय, 2008-09 में कृषि प्रशिक्षण प्रयोगशाला, स्वायल हेल्थ कार्ड योजना जारी की गयी थी, जिससे 5 करोड़ किसानों को लाभ मिला था जो आज बंद है । 3103.2014 तक 1411 प्रशिक्षण प्रयोगशालायें खुली थी जो आज बंद है । इसलिए कृषि निर्यात में भारी कमी आयी है । देश को 107203 लाख डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है इस शासनकाल में ।

महोदय, दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी-अभी आप देखें होंगे, मुजफ्फरपुर की लीची दुनिया में प्रसिद्ध है, हम इसका निर्यात करते हैं, हम इसका प्राईज लेते हैं । लेकिन आपने क्या कह दिया ? हमारे बच्चे मर गये। आपने लीची पर आरोप लगा दिया कि लीची से बच्चे मरे हैं । आप बोलिये । इतने दिनों से लीची है और चमकी बुखार लीची से और सुगर की बीमारी आम से तो आम और लीची का पेड़ कटवा दीजिये इस राज्य से । हमलोग स्वागत करते हैं । एकओर आप फलदार पेड़ लगाना चाहते हैं और दूसरी ओर फल को बदनाम करते हैं और अपनी बदनामी को आप सहने के लिये तैयार नहीं है ।

हुजूर, याद कर लीजिये । 8 लाख पर एक बेड है हमारे राज्य में और 90 हजार पर एक डॉक्टर । क्या कीजियेगा इन गरीबों का ? परसों की बात मैं कह रहा हूं । एक गरीब आदमी एक्सीडेंट के बाद यहां आया था, मैं माननीय मंत्री जी को फोन पर कहा तुरंत माननीय मंत्री जी एक्शन में आये । लेकिन जब वह गया अस्पताल में, भर्त्ती नहीं लिया । तब वहां से दौड़कर गया पी0एम0सी0एच0 तो वहां भी भर्त्ती नहीं लिया । चार घंटे देर हो गये, वह बेचरा दम तोड़ दिया । अब भला आप बताईये । आप एक ओर कहते हैं कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये हम चिन्तित हैं । हमलोग भी आपकी चिन्ता के साथ हैं । क्यों नहीं, राज्य हमारा भी है और आपका भी है । लेकिन चिन्ता कहां है आपकी ? वह आप गौर कर लीजिये । इतना ही नहीं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, आप हुजूर आप चलिये । देख लीजिये, कहीं भी एक डॉक्टर और एक नर्स नहीं बैठते हैं । दवाओं का नाम नही ं है ।

हुजूर, जर गौर से सुनियेगा। जरा हमदर्द होईयेगा गरीब का । जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाता होगा, ज्वर और बुखार से जब वह लौटकर वहां से आता होगा, कितना कराहता होगा हुजूर, कितना दिल दहलता है यह बात बोलकर । हम एक बार इस हाउस में कहे थे कि हमारे विधायक के आंध्र के पैटर्न पर पैसा दीजिये, ज्वर और बीमारी से अगर कोई गांव में ग्रसित हो तो उसके लिये के लिये वह पैसा देते हैं । लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । अभी भी कहने लगे, मुश्किल में पड़ जायेंगे । एक तो तबियत खराब है ।

अध्यक्ष : रामदेव बाबू । आपके लिये लिखकर ही 13 मिनट का समय मांगा गया और आप 16 मिनट से ऊपर बोल चुके हैं ।

श्री रामदेव राय : हम बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर देंगे । अच्छा सर, हम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं ।

अध्यक्ष : रामदेव बाबू एक मिनट । हम एक चीज स्पष्ट कर दें कि आज कोई शेष समय रहने की स्थिति नहीं है । आज हमलोग विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं । आज किसी विभाग की मांग का दिन नहीं है । आज 4 बजे ही यह समाप्त होगा । आज 5 बजे वोट करानेवाला दिन नहीं है । जिस हिसाब से आप अपने दल के लिये, आज हमने दल के लिये आवंटित समय पढ़ा है क्या? बताईये । हम तो रोज पढ़ते हैं । आज दल के लिये कोई समय हमने आवंटित किया नहीं है । आज तो यह विधेयक है । आज विधेयक की स्वीकृति के

प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्री रामदेव बाबू बोल रहे हैं । चूंकि उनका पहला अनुरोध आया था, इसलिए हमने उनको पहले बुला दिया और उनका जो अनुरोध आया उसी में 13 मिनट लिखा हुआ था, इसके बाद जो लोग भी बोलेंगे, वह 5 मिनट की सीमा में बोलेंगे । क्योंकि साढ़े तीन बजे हमको हर हाल में सरकार को समय देना होगा, आधा घंटा जवाब के लिये ।

श्री रामदेव राय : हुजूर , हम जल्द ही खत्म करते हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : कांग्रेस जो बोलती है, करती नहीं है । कभी नहीं किया । अब तो लिखती है कांग्रेस वह भी नहीं मानती है ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, हमारे यादव जी बहुत पुराने हैं । वह जरूर जानते हैं कि कांग्रेस कैसी संस्था है । कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है दुनियां में जो बोलती है, वही करती है ।

अध्यक्ष : कोई बोलेगा, समय आपका ही खत्म होगा ।

टर्न–10/अंजनी/22.07.2019

श्री रामदेव राय : हुजूर, अब मैं शिक्षा पर बोलता हूँ । सर्व शिक्षा अभियान की हालत आप देख लीजिए, गांव में पाठशाला है, मास्टर साहेब खिचड़ी बनवाते हैं, मास्टर साहेब वोटर लिस्ट तैयार करवाते हैं, मास्टर साहेब सर्वे करते हैं तो पढ़ाने का काम किस दिन करेंगे हुजूर । भवन भी वही बनाते हैं, चलकर देखिए, हमारे गांव में जो भवन बन रहा है, वह 12 वर्षों से बन रहा है दो कोठरी कन्या मध्य विद्यालय शेरपुर ।

अध्यक्ष : अब एक मिनट में आप समाप्त करिए ।

श्री रामदेव राय : आंगनवाड़ी केन्द्र की भी वही हालत है, 10 वर्षों से हमारे यहां, हमारे घर पर ही आंगनवाड़ी केन्द्र है, बन रहा है, कोई देखनेवाला नहीं है हुजूर । अब मैं क्या कहूं एक मिनट में । एक मिनट में यही कहूंगा कि सकल घरेलू उत्पाद के नक्शा को आप बदल दीजिए, ग्रोथ रेट को आप बदल दीजिए, झूठा ग्रोथ रेट मत बताइए बिहार को, आपका ग्रोथ रेट बढ़ा नहीं है, अगर ग्रोथ रेट बढ़ा है तो शिक्षा में प्रगति क्यों नहीं हुई, सड़क में प्रगति क्यों नहीं हुई, हां कुछ सड़क में प्रगति हुई है और बिजली में प्रगति हुई है, शेष विभाग चौपट । महोदय, एक मिनट में एक कहानी कहता हूँ । एक तुरहा था, वह आम का गाछ लिया था व्यापार करने के लिए, एक आम फुनगी पर पका हुआ था, उसका बेटा कहता था कि तड़पकर,

उसको पकड़कर आम तोड़ लायें तो उसने कहा कि अरे बेवकूफ, उपर में चढ़ोगे, तुम मर जाओगे, टूट जायेगा गाछ तो कहा कि क्या करें, नीचे में बैठे रहो, जैसे ही हवा बहेगी, वह पका हुआ आम गिरेगा तो ऐ पके हुए आम कबतक छिपोगे पत्ते की आड़ में, एक दिन बिकना होगा बीच बाजार में । यादव जी, एक दिन बिकना होगा बीच बाजार में । इन्तजार कर लीजिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद । श्री रामानुज प्रसाद जी, आप सात मिनट में अपनी बात कह डालिए । समय नहीं है ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक की जो परम्परा है, उसके हिसाब से यह आता रहे और इसके द्वारा हम सदन के लोग सरकार को खजाने की चाबी सौंपने का काम करते हैं । यह सरकार खजाने की चाभी मांग रही है, जो बजट एलोकेशन है, उसको खर्च करने के लिए सदन से अनुमति मांगने के लिए विनियोग विधेयक लेकर आयी है लेकिन मैं इस विनियोग विधेयक का यह कहते हुए विरोध करना चाहता हूँ कि यह सरकार जो पैसा लेती रही है, उसके संबंध में हमलोगों का जो पूर्व का अनुभव है, उसके हिसाब से यह सरकार खर्च नहीं करती रही है । परिणाम बजट लेकर मैं समझता हूँ कि विनियोग लेकर आने के पहले परिणाम बजट लेकर आना चाहिए था कि पूर्व के जो पैसे सरकार ने ली थी, हम सदन के लोगों ने दिया था, उसमें आपने कितना खर्च किया और उस खर्च के क्या परिणाम आये । यह भी रखना चाहिए था । आंकड़ों के जाल में नहीं जाते हुए चूंकि समय आपने बांध दिया है कि कम ही समय में अपनी बात रखनी है तो मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में चारों ओर लूट मचा हुआ है, जो भी इम्पलीमेंटिंग एजेंसी है, इम्पलीमेंटेशन का जो प्वाइंट है, एलोकेशन हमारा जो हो, हमारा बजटरी प्रोवीजन जो हो, हमारे कार्यक्रम जो हों, हमने योजनायें जितनी भी बनायी हो लेकिन वे हमारी योजनायें हमारे लोगों तक, उस गरीब जनता तक, उस गांव में गरीब, किसान, मजदूर रहता है और उससे हम बीमार पड़ने तक का भी टैक्स लेते हैं । यह पैसा जो हम सदन के लोग देते हैं सरकार को, यह पैसा कहीं पेड़ से नहीं आता है, यह झड़ता नहीं है, हमारे गरीब किसान मजदूर जो बीमार पड़ने तक का टैक्स देता है, वह कह रहे थे कि अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री जी उस दिन बता रहे थे कि जी0एस0टी0 आने से यहां दवा का सबसे ज्यादा आवक हुआ तो दवा का आवक हुआ तो यही इस बात का द्योतक हुआ कि हमारा

राज्य बीमार है, सबसे हम बीमारू राज्य के लोग हैं कि हमारे यहां दवा का आवक सबसे ज्यादा हो रहा है । तो हमारे लोग बीमार हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को हमारे राज्य के बीमारी के मामलों को अपने हाथ में लेना पड़ता है । कुप्रबंधन की वजह से जो हमारे बच्चे मर रहे थे, हमारे बच्चे जो गुरूवत के रोग से मर रहे थे, वह कुपोषण के रोग से मर रहे थे तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि बिहार में यह क्या हो रहा है, सेल्टर होम के संबंध में कहा था कि सरकार के पैसे से, सरकार के संरक्षण में बिहार में यह कुव्यवस्था नहीं बल्कि यह धंधा चल रहा है । हम इसको अपनी भाषा में ही कहेंगे, कोर्ट की टिप्पणी उससे भी भद्दी भाषा में है कि धंधा चल रहा है तो धंधा चलने का कोर्ट ने टिप्पणी की थी और तब वह बैठकर सरकार हमसे पैसे मांग रही है, तब तो हम सोचेंगे कि पैसे का जो एलोकेशन है, वह तो सही है लेकिन उस पैसे का इम्पलीमेंटेशन सही हो, इसपर हम सरकार को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे । इसमें मैं बार-बार कहता हूँ कि सरकार को तो दो-तीन बिन्दुओं पर अवश्य ही गौर फरमाना चाहिए । जो सिस्टम है, जिसको गवर्न करने के लिए बैठे हैं, हम-आपको जनता चुनकर भेजी है लोकतंत्र में, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार के कन्सेप्ट के तहत हम यहां आये हैं तो हम यही देखने के लिए आये हैं कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। हमारी जो योजनायें हम बनाकर पास करके यहां से भेज रहे हैं, जो पैसे हम दे रहे हैं, उस गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर हम विभागों को दे रहे हैं, विभागवार वह सही तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है । हमारे शिक्षा के परिणाम क्या हैं । राज्य में हमारा शिक्षा व्यवस्था क्या है, देश में ग्रेडेशन में हम कहां हैं, स्वास्थ्य के ग्रेडेशन में हम कहां खड़े हैं और विश्व का जो ग्रेडेशन है, जो मानक है, उसमें हमारा राज्य कहां है, यह तुलनात्मक अध्ययन का विषय हो जाता है । इस विषय को ध्यानगत करके ही सरकार को, मैं समझता हूँ कि दो-तीन सुधार के बिन्दुओं पर मैं सलाह देना चाहता हूँ कि सरकार प्रचार तो करती है, प्रचार करने में माहिर सरकार है, सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमलोग भी उस समय सरकार में शामिल थे, सात निश्चय के डाकुमेंटस के साथ आया हूँ और उसको रखूंगा और दो-तीन सुझाव देना चाहता हूँ। सरकार अगर चाहती है, अगर हम चाहते हैं कि इस राज्य को बेहतरी की ओर ले जाना, इस राज्य को बीमारू राज्य से बाहर निकालना, इस राज्य को हम देश के मानक पर खड़ा करना, दुनिया के मानक पर पहुंचाना...

(इस अवसर पर श्री तारकिशोर प्रसाद, स0वि0स0 ने
माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया)

तो हम चाहते हैं कि यह सरकार यह सजेशन ग्रहण करे कि राज्य में पदस्थापित जो प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक सभी तरह के पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके दायित्व तय हों, उनके डिलेवरी प्वाइंटस क्या है और उसमें वे एकाउंटेबुल है कि नहीं है, हम सिर्फ डियुटी के लिए डियुटी करें कि परिणाम के लिए डियुटी करें, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है । सुधार अगर हम नहीं करते हैं तो सारी बातें बेकार फेक-फिक्सस हो जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें सुधार करे । इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सरकार का जो ड्रीम योजना है सात निश्चय का प्रचार, सरकार सबसे ज्यादा ढ़िढोरा पीट रही है । सात निश्चय का मैं लेकर आया हूँ सभापति महोदय, सरकार की सबसे बड़ी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वह सात निश्चय में नल-जल योजना । यह पूरे बिहार का जिलावार सूची है कि क्या कदाचार है, यह हम रखना चाहते हैं । भ्रष्टाचार में आज यह हालत है और अपराध का हालत यह है कि अपराध में पूरा का पूरा बिहार क्राइम से कराह रहा है। सरकार नाम की चीज नहीं लगती है या सरकार का एकबाल खत्म हो गया है ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब अपनी बात आप समाप्त करें ।

टर्न-11/राजेश/22.7.19

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): अब आप समाप्त करें ।

श्री रामानुज प्रसाद: महोदय, सबसे ज्यादा दुखदायी तो यह है कि सरकार का बोर्ड लगा करके, माननीय प्रधानमंत्री जी का बोर्ड लगा करके, माननीय गृह मंत्री जी का बोर्ड लगा करके तब जो यह हो रहा है, छपरा में जो मॉबलिंचिंग हुआ है, उसमें एक पार्टी के, एंक संस्था के, न सिर्फ नेता बल्कि वे पदधारक हैं, जिन्होंने मॉबलिंचिंग करके दलितों और अकलियतों को मारने का काम किया है, एक और घटना, मैं उदाहरण के साथ रखना चाहता हूँ, हमारे चीफ व्हिप साहब बराबर कहते रहते हैं कि दरभंगा में एक व्यति है, जो प्रधानमंत्री जी का बोर्ड लगा करके मोदी चौक लिख करके एक-एक अंजाम को करने का काम करता है, इतने केसेज के नम्बर लेकर मैं आया हूँ, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में बैठने वाले गृह मंत्री सह हमारे राज्य के उप-मुख्यमंत्री, ये सारे लोग

जा करके वहॉ बैठ जाते हैं और रोज उस व्यक्ति का कारनामा जगजाहिर है, इसलिए क्या हो रहा है इस राज्य में, हमारे बगल का वैशाली जिला है, वैशाली जिला में आज से तीन दिन पहले दो दलित के भाई एवं एक अकलियत के भाई को गो रक्षा एवं गो हत्या के नाम पर मार दिया गया, अभी भगवानपुर के गोरौल में बिहारी एक जगह है, मैं वहॉ पर गया था, अकलियत समाज की एक बेटी एवं उसकी मॉ का सर मुंड़वाकर सरेआम घुमाया गया गॉव में, केवल इसलिए कि उसके जमीन को दखल करने की मंशा था, तो इसतरह से हो रहा है, बिहार क्राईम से कराह रहा है, हमारे डी0जी0पी0 रो रहे हैं.....(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): अब आप समाप्त करें ।

श्री रामानुज प्रसाद: अभी हम कह रहे हैं कि पैसा आप क्यों मांग रहे हैं, आप पैसा क्यों मांग रहे हैं, यह हम कहना चाहते हैं । सभापति महोदय, वैसे मैं विषयवार आता लेकिन समय कम है, इसलिए हम आपसे कुछ समय लेना चाहते हैं । अभी रामदेव बाबू ने एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर को क्यों नहीं डिजिटल बनाना चाहते हैं, तो हम केवल दो चीज कहना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर लें लेकिन जब तक हम शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये सारी बातें बेईमानी हो जाती है .....

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): अब आप समाप्त करें ।

श्री रामानुज प्रसाद: सभापति महोदय, हमारे शिक्षा का हालात प्राईमरी एलिमेंटरी शुरु से ले करके हाई लेवेल तक चाहे हमारे प्राथमिक स्कूल हों, चाहे सेकेण्ड्री स्कूल हो, चाहे कालेजेज हों, हमारे विद्यालय से ले करके विश्वविद्यालय तक जो खास्ताहाल है, उसमें यह सरकार पैसे तो दे रही है लेकिन मोनेटरिंग नहीं कर पा रही है, तीन दिन पहले इसी सदन में मामला उठा था कि वह टीचर क्या करें, टीचर है तो भवन नहीं है, भवन है तो वहॉ पर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, केवल साईकिल और वस्त्र बॉट करके अपना पीठ थपथपाने का काम यह सरकार कर रही है ।

अब स्वास्थ्य का मामला को ही सभापति महोदय ले लें । अभी कह रहे थे माननीय रामदेव बाबू, हमारे राज्य का जो सबसे बड़ा अस्पताल है पी0एम0सी0एच0, हम वहॉ प्रतिदिन जाते हैं, क्योंकि मैं बगल के क्षेत्र से आता हूं, हमारे लोग बिमार होकर आते हैं, हम जो वहॉ जाते हैं, तो कदाचार देख रहे हैं, जो कुव्यवस्था देख रहे हैं, आप कैसे कहते हैं कि हम करेंगे.....(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): अब आप समाप्त करें ।

श्री रामानुज प्रसादः महोदय, एम्स में, बैठे हुए हमारे वित्त मंत्री जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी है, मैं कहना चाहता हूँ कि रवीन्द्र चौरसिया नाम का हमारे क्षेत्र का एक आदमी, उसकी पत्नी जो है, फ्रैक्चर में वहाँ जाती है एम्स के ऑर्थो डिपार्टमेंट में और वहाँ पर पैसा के लिए उस गरीब को डेढ़ महीने तक दौड़ाते रहता है कि तुम पैसा दोगे तो तुम्हारा हीप ट्रान्सप्लांट होगा, तो इसतरह के माहौल बने हुए हैं, तो आप कहते हैं कि इस राज्य को हम बेहतरी की ओर ले चलेंगे, बेहतरी की ओर ले जाना चाहते हैं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): आपका समय समाप्त हुआ । अब आप बैठ जाय । माननीय सदस्य राजकिशोर सिंह जी ।

श्री राजकिशोर सिंहः सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सरकार की ओर से जो विनियोग विधेयक लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ । आज हम पूरे बिहार के लोग माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री है, इस बात से पूरे बिहार के लोग गौरवान्वित हैं, गौरवान्वित है उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, जो बिहार सरकार चल रही है सभापति महोदय, आज बिहार का सर्वोंगीण विकास हो रहा है। आज इस राज्य में जो जी0डी0पी0 का रेसियो है, अभी रामदेव बाबू भी स्वीकार रहे थे, उनका ही ऑकड़ा कह रहा था कि देश का जो औसत जी0डी0पी0 का रेसियो है, उससे ज्यादा बिहार विकास कर रहा है, वे भी इसको मानते हैं । जहाँ तक रामानुज बाबू अभी बोल रहे थे 7 निश्चय, तो इनको भी लगा कि 7 निश्चय एक अच्छा प्रोग्राम है और दुर्भाग्य से ये गंभीरता से उसको देख नहीं पाये, 7 निश्चय में काम हो रहे हैं, मैं मानता हूँ कि 7 निश्चय में रामानुज बाबू जितना काम होना चाहिए, मैं मानता हूँ कि उतना काम नहीं हुआ लेकिन काम हो रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि 2020 तक सरकार तय की है, एक-एक काम हो जायेगा और जो 2020 तक करना है, तो पैसा तो देना है, यह तो आप ही का प्रोजेक्ट है, आप ही का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप उस समय साथ ही थे और हम तो थैंक्स करते हैं बी0जे0पी0 के लोगों को, कि वे बाद में आये हैं लेकिन उसके बावजूद भी वे उसी लाईन पर चल रहे हैं लोग । सभापति महोदय, बिहार का डेवलपमेंट है न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, डेवलपमेंट विथ जस्टिस और सस्टनेबुल डेवलपमेंट, यह है इनका सोच और इनका विचार । हमारी सरकार अभी शिक्षा के क्षेत्र में कह रहे थे, रामदेव बाबू कॉग्रेस के राज की बात कह रहे थे, जब कॉग्रेस

की सरकार थी, तो देश के बगल के दूसरे देश वर्मा से कम शिक्षित थे भारत में, श्रीलंका से कम शिक्षित थे, चीन से कम शिक्षित थे, उनकी ओर इनका ध्यान नहीं गया लेकिन जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आते हैं, श्री सुशील कुमार मोदी जी आते हैं और एक साईकिल योजना की बात करते हैं, इसका नकल इस देश के अन्य राज्य भी करने लगे तो आपको काहे बुरा लगा, आप तो पिछड़ा दलित की बात करते हैं, साईकिल किसके घर में नहीं थी जो दलित है, पिछड़ा है, जब पिछड़ी की बच्ची, दलित की बच्ची साईकिल से स्कूल जाती है, तो उसके अंदर जो खुशी होती है, उसके अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है, मैं मानता हूँ कि अभी बहुत काम करना है, इसलिए कहता हूँ कि दो लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, इसका आप समर्थन करिये ।

सभापति महोदय, अभी ये कह रहे थे कानून के राज की बात । महोदय, आपको मालूम है और यह देश और दुनिया सभी को मालूम है कि जब नीतीश कुमार जी आते हैं, जब आते हैं सुशील मोदी बिहार में, मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ और 2005 के पहले जाना भी नहीं चाहता हूँ, चूंकि उनके भी अनेक कारण हैं, मैं ऐसा कबूलता हूँ कि एक कारण नहीं है, जो बिहार था लेकिन जो था, उसके थोड़ा पीछे चलकर देखिये । मैं सभापति महोदय, एक वाक्या सुनाता हूँ। एक शादी होती है मई महीना में और उसके बाद सावन के पूर्णिमा में, बच्ची जाती है अपने मैके, अपने पति जो दिल्ली चले गये हैं, उनको बुलाती है, पटना से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, रात के 10 बजे ट्रेन पहुंचती है, ट्रेन लेट हो जाती है, बच्ची वहाँ इंतजार कर रही है, उसके घर के लोग इंतजार कर रहे हैं, लड़का उतरता है, टेलिफोन बूथ पर जा करके और यह 2004 की घटना है, वह ससुराल में फोन करता है, फोन करता है कि मैं आ गया हूँ, बच्ची तो खुश हो जाती है लेकिन परिवार के लोग मना कर देते हैं कि आप मत आइये, आप स्टेशन पर ही रात गुजारिये, आप गौर कीजिये कि ऐसा क्यों हुआ, वह इसलिए हुआ कि चार किलोमीटर दूरी है, बीच में दूसरी जाति के लोग हैं, अगर उसके घर तक पहुंचते हैं लड़का अकेला, तो हो सकता है कि लड़का के विषय में जाति जान जाय और उसकी हत्या हो जाय, लड़की वाले सोचते हैं कि अगर मैं लड़का को लेने जाता हूँ, दामाद को लेने जाता हूँ, तो हमारी जाति के लोग अगर दूसरे गॉव के लोग जान जायेंगे, तो मेरी हत्या हो जायगी, ऐसा बिहार था, ऐसा बिहार था, ऐसा

घिसा-पिटा बिहार आपने दिया था माननीय नीतीश कुमार जी को और माननीय सुशील कुमार मोदी जी को ।

क्रमशः

टर्न-12/सत्येन्द्र/22-7-19

श्री राजकिशोर सिंह(क्रमशः) आपको मालूम है बिहार के एक बड़े नेता उस समय दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री थे, उनके भाई बिहार सरकार में मंत्री थे, उनके पिताजी का देहांत हो जाता है पी0एम0सी0एच0 में, रात के 9 बजे बिहार सरकार के मंत्री, चूंकि उनके पिताजी कबीरपंथी थे, वे चाहते हैं कि एक कबीरपंथी महिला पटना जिला के सुदुर गांव में आये और भजन गावें,

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): अब अपनी समाप्त करें।

श्री राजकिशोर सिंह थाना को कहा जाता है लेकिन थाना रात में उस गांव में जाने में असमर्थता जाहिर करता है और थाना उसको लेकर आना नहीं चाहता है, ये था बिहार । सभापति महोदय, समय नहीं है, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जिस तरह से बिहार बदला है और इसका तकदीर और तस्वीर बदला है, अफसोस है कि आपको दिखाई क्यों नहीं देता। मुझे जहां कहीं भी मौका मिला, मैंने कहा इस देश में और इस राज्य में गैरत और गैरियत दोनों है और आज थैंक्स करता हूँ भारत सरकार को, उसने दोनों चीज समझा, कभी आरक्षण लागू हुआ तो समाज जलने लगा, आज सवर्ण आरक्षण हुआ, गैरियत और गैरत दोनों ने महसूस किया । इस समाज को बनाना चाहती है हमारी सरकार, हमारी सरकार भाई से भाई के बीच भाईचारा देना चाहती है, मानवता और मानवीयता के ऊंच आदर्शों पर चलना चाहती है । मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ एक कविता कहना चाहता हूँ, चूंकि समय नहीं है, हमारी आदत है सभापति महोदय के तरफ से बैठने के लिए कहा जा रहा है तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, हमारे नेता का हमेशा सोच है, आपको मालूम है अभी 13 तारीख को विराधी पक्ष के लोग भी माननीय नीतीश कुमार जी को दूरदर्शी कह रहे थे । मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ । बाकई नीतीश कुमार जी दूरदर्शी हैं, लीडर नहीं है नीतीश कुमार जी, आप याद रखियेगा स्टेट्समैंन हैं, स्टेट्समैन कभी आसान रास्ता नहीं चुनता, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला और सत्ता के शिखर तक पहुंचना आसान है लेकिन काम के बदौलत, इंसानियत के बदौलत, विकास के बदौलत अगर कोई आदमी सत्ता पर जाना चाहता है तो समझिये वह स्टेट्समैन है और स्टेट्समैंन कभी आसान रास्ता नहीं अख्तियार करता

है, वह दुर्गम रास्ता अख्तियार करता है और मंजिल के रास्ते पर पहुंचता है । सभापति महोदय, हमारे नेता का एक सोच है– आसमाने ठानी हैं जहां बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है वहां आसयां बसाने की । ये हमारे नेता और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय बिहार ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार जी। सात मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मनोज कुमार: सभापति महोदय, आज मैं अपनी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री के द्वारा सदन में प्रस्तुत बिहार विनियोग विधेयक, 2019 संख्या–2 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, सदन के सारे सदस्यों को ध्यान में होगा, फरवरी, 2019 में जब 2 लाख 1 हजार 71 करोड़ 28 हजार रू0 का बजट सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और वाद विवाद के बाद में उस बजट को पारित भी किया गया लेकिन चूंकि विभिन्न 51 अनुदान मांगे थी, उस समय में चुनाव का समय था, सभी विभागवार चर्चा कराने का समय नहीं था, सत्र की अवधि भी काफी छोटी थी तो एक बिहार विनियोग लेखा अनुदान अधिनियम, 2019 के द्वारा 338 लाख 52 हजार 96 करोड़ रू0 का लेखानुदान विधेयक पास करवाया गया था सदन से, मकसद यह था कि कम से कम निर्वाचन विभाग, गृह विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग, इन विभागों का 100 प्रतिशत राशि और बाकी विभागों के 33 प्रतिशत राशि को इस लेखानुदान के माध्यम से पारित कराया जाय ताकि इन चार महीनों में सरकार का खर्च चलाया जा सके और यह सरकार की दूदर्शिता थी कि आपदा प्रबंधन का 100 प्रतिशत राशि खर्च करने की अनुमति सदन से ले ली गयी थी और आज इसका ही परिणाम है कि आज हम बाढ़ में फसें हुए जो लोग है, सूखा में फंसे हुए जो लोग हैं, तो विनियोग विधेयक पारित किये हुए पूरे दो लाख करोड़ रू0 का जो हमारा बजट है, आज हम पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को सीधे उनके खाते में आपदा कोष के माध्यम से उनको हम राशि हस्तांतरित कर रहे हैं । ये दूरदर्शिता है हमारी सरकार की । सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान लेना चाहूंगा कि हमलोग खर्च कहां करते हैं या इस बजट में हमलोगों ने जो प्रावधान रखी थी विभिन्न विभाग के लिए तो मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि हम सबसे अधिक खर्च करना चाह रहे हैं या खर्च करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग में, दोनों स्कीम मद में और स्थापना मद में मिलाकर लगभग 34 हजार 798.69 करोड़ रू0, अब ये खर्चा कहां होगा, इस खर्चे में जो अपने शिक्षकों को वेतन देते हैं उसका

एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है और आज पूरे प्रदेश में जो एक समस्या खड़ी हुई है शिक्षकों को लेकर, सदन ये बात को जानता है कि हमारा सर्वाधिक खर्च करने वाला विभाग शिक्षा विभाग है । यह हमारे बजटीय उपबंध में जितनी राशि होती है, उसमें से भी सबसे बड़ा हिस्सा चला जाता है शिक्षकों के वेतन भुगतान में और फिर भी अपने शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाना है । हमलोगों ने यह प्रण लिया है कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल खोलना है और सभी माननीय सदस्यों को ध्यान में होगा, हर विधान-सभा वाईज अगर वे आकलन करें तो कितना तेजी से हर पंचायत में एक हाई स्कूल खुल रहा है और ये हाई स्कूल खुलना केवल शिक्षा देने के लिए ही नहीं है ,ये कन्या उत्थान से जुड़ा हुआ एक मामला है। हमारी सरकार ने जो कन्या उत्थान की योजना चलायी है, जन्म से लेकर ग्रेजुएसन तक और आज बढ़ती आबादी से जो हम अपने आपको ये देख रहे हैं कि बिहार में जो आबादी बढ़ रही है तो ये पंचायतों में जो हाईस्कूल खोलने का निर्णय है, कन्या उत्थान की जो योजनाएं चलायी जा रही है, इसके लिए जो उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वह भविष्य में मील की पत्थर साबित होगी बिहार के विकास के लिए इसलिए हम सर्वाधिक खर्च करते हैं शिक्षा विभाग में । हम खर्च करते हैं ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग में । मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि दोनों विभागों का अगर हम बजट मिला दें तो लगभग 28 हजार करोड़ रू0 हमलोग केवल ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में खर्च कर रहे हैं । यह ग्रामीण विकास के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम इसे माना जा सकता है । हम खर्च कर रहे हैं सड़कों पर, पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण सड़कों का हम अगर बजट दोनों का मिला दें तो ये भी लगभग 20 हजार रू0 से कुछ ही पैसे कम हम होगा और यह राशि ग्रामीण सम्पर्कता पर और पथ निर्माण पर हम खर्च कर रहे हैं और ये हमारी तीसरी सबसे बड़ी खर्च करने की राशि है । हम चौथी बड़ी राशि खर्च करते हैं अपने स्वास्थ्य विभाग पर, लगभग 10 हजार करोड़ रू0 से कुछ पैसे कम दोनों एक्सपेंडिचर मिलाकर स्कीम मद और स्थापना मद में और साथ साथ ये ठीक है हमारे यहां मेडिकल कॉलेज की संख्या कम थी लेकिन हमारी सरकार ने इस वर्ष 11 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है जिसमें 8 मेडिकल कॉलेज उत्तर बिहार में और तीन मेडिकल कॉलेज दक्षिण बिहार में और साथ साथ में मुजफ्फरपुर में एक कैंसर होस्पीटल भी खोलने का निर्णय लिया है और नालंदा में एक डेंटल होस्पीटल खोलने का निर्णय लिया गया है तो इस तरह से

देखेंगे तो स्वास्थ्य के बारे में जो सरकार कर रही है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जो हम काम कर रहे हैं, वह एक बिल्कुल सकारात्मक दिशा में सरकार अपना कार्य कर रही है । आप देखेंगे समाज कल्याण ,पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुसूचित जाति कल्याण और माइनोरिटी के लिए हमलोग लगभग 10 हजार 614 करोड़ रू0 खर्च कर रहे हैं । अब इन पाचों विभाग में देख लें, पांचों क्षेत्र में देख लें ,केवल विभाग नहीं इसमें तो कई विभाग कवर हो जा रहे हैं, इन पांचों क्षेत्रों में खर्च करने के बाद जब हम अगला सबसे बड़ा खर्च रहे हैं तो वह हम ऊर्जा विभाग में कर रहे हैं जिसकी राशि भी लगभग 8 हजार 894 करोड रू0 दोनों मदों को मिलाकर है इसलिए ये कहना कि सरकार को खर्च करने की, मैं तो कई बार इस बातों को बोलता हूॅ, रामदेव बाबू बोल रहे थे कि सरकार में खर्च करने की कैपिसिटी नहीं है। मैं ये बता सकता हूॅ, भारत के सभी राज्यों को अगर आप वित्तीय प्रबंधन को देखेंगे तो बिहार का जो वित्तीय प्रबंधन है वह बेहतरीन है और इस मॉडल को सारे राज्य आज अपना रहे हैं । मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा, रामदेव बाबू जी ने कहा कि गरीबी नहीं घटी, वर्ष 2004-05 में जो हमारा गरीबी का दर लगभग 50 प्रतिशत था, वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर कमिटी ने उसे प्रुफ किया है कि वह 20 प्रतिशत घटकर 34 प्रतिशत के आसपास रह गया है इसलिए गरीबी घटी है । कांग्रेस ने 1971 में नारा दिया गरीबी हटाओ का लेकिन आज तक उस समय से गरीबी नहीं हटायी जा सकी और 2004-05 के बाद जब एन0डी0ए0 की यहां सरकार आयी तो वर्ष 2011 तक हमारा गरीबी का दर 34 प्रतिशत हो गया था और आज मैं पुनः बोल सकता हूॅ दावे के साथ में कि अभी गणना होगी तो बिहार में गरीबी की दर 20 प्रतिशत के आसपास होगा और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार में जो लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कराने की जो सुविधा दे रखी है जिसका लाभ कई विभागों के साथ साथ लाभार्थी को भी मिल रहा है ।(क्रमशः)

टर्न-13/मधुप/22.07.2019

...क्रमशः...

श्री मनोज कुमार : यह एक दूरदर्शिता वाला कदम है जिसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूॅगा । महोदय, समय काफी कम दिया गया है । मैं बताना चाहता हूॅ कि हमलोगों ने आय का संग्रह किस हिसाब से बढ़ाया है । इस जी0एस0टी0 एरा में

हमारे पास निबंधित लोगों की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास में हो गई है, वित्तीय प्रबंधन के बारे में मैं बता चुका हूँ । घाटा प्रबंधन में हमलोगों ने राजकोषीय घाटा को अपने जी0डी0पी0 के 3 प्रतिशत के आसपास रखा है और ऋण प्रबंधन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि 2004-05 में जब जी0डी0पी0 का 50 प्रतिशत हमारे बिहार का ऋण हुआ करता था, आज हमलोगों ने उसे 25 प्रतिशत के दायरे में रखने का काम किया है । साथ-साथ, कंसोलिडेटेड लिंकिंग फंड जिसमें 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के हिसाब से 0.5 परसेंट के हिसाब से हमलोगों को भविष्य में ऋण आपूर्ति के लिए जो पैसा जमा करना है, इसी बजट में उसमें 875 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है ।

इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक को पारित किया जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री मो0 नेमतुल्लाह जी । 8 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, आज विनियोग विधेयक पर बहस मोबाहिसा हो रहा है । सारे विभागों का अनुदान मॉग पास कर लिया गया है इस सदन से, तिजोरी माननीय वित्त मंत्री जी के हाथ में दे दी गई लेकिन चाबी अभी तक नहीं मिला है और इसी चाबी के लिए आज हम सब बहस मोबाहिसा कर रहे हैं । महोदय, चाबी देना भी जरूरी है, खजाना का तिजोरी दे दिया गया, अगर चाबी नहीं देंगे तो ये खर्च नहीं कर पायेंगे । जनता के हित में खर्च करना है, वह तो पास करना है चूंकि आज बाढ़ की स्थिति है, आज सुखाड़ की स्थिति है, जनता त्राहिमाम कर रही है, इसलिये खजाना की चाबी इस सदन को देना है ।

लेकिन उसको इनको सही तरीके से खर्च भी करना है । सिर्फ 15 साल का ये बखान करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा कि 15 साल पहले यह हुआ, जंगलराज था, अब तो 15 साल आपका भी होने वाला है, आप इस 15 साल में क्या किये और क्या करने जा रहे हैं, इनको यह बताना चाहिए । आपके यहॉ कितने इनवेस्टर आये ? मुख्यमंत्री विदेश गये, विदेश से इनवेस्टेर आये, यहॉ उद्योग लगे कि नहीं लगे, यहॉ लोग खर्च किये या नहीं ? वित्त मंत्री जी भी विदेश गये थे लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला ? अपना पीठ अपने से थपथपाने से नहीं होता है ।

आज लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति क्या है ? आज सही है कोई ? बाहर जाने में लोग डरते हैं । मॉब लिंचिंग हो रही है, महोदय । मॉब लिंचिंग दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ तरह-तरह का बहाना बनाकर हो रहा है । लॉ एण्ड ऑर्डर इनके हाथ में नहीं है । अब इनका महकमा फेल हो गया है । अब कानून जनता अपने हाथ में उठा ले रही है, इसपर इनका अंकुश खतम हो गया है । दूसरी तरफ..... (व्यवधान)

फिर पहले की बात ! हमने कहा कि 15 साल पहले की बात आपको नहीं करनी चाहिए, अभी की बात कीजिए कि आज क्या हो रहा है ?

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : आप आसन की तरफ देखकर बोलें ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, हाईकोर्ट इनकी सरकार चला रही है । 27 तारीख को 4-5 विभागों के प्रधान सचिव को हाईकोर्ट ने हाजिर होने के लिए कहा है । यही सरकार है महोदय कि बात-बात पर हाईकोर्ट को डायरेक्शन देना पड़े ? जल-जमाव की स्थिति में हाईकोर्ट का डायरेक्शन हो रहा है कि पटना में इस तरह की भयावह स्थिति क्यों बनी हुई है ? अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है ? दलितों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है ? इसपर इनको जवाब देने की जरूरत है ।

महोदय, आज टीचर की कमी हर जगह है । बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारी बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, साइकिल से जाना चाहती हैं, उनको मुहैया कीजिये, बस से जायेंगी, उनको स्कूटी दीजिये, स्कूटी से जायेंगी हमारी बच्चियाँ लेकिन जब आपके स्कूल में जायेंगे तो टीचर है क्या ? कौन पढ़ायेगा ? इंगलिश का टीचर है, वह हिन्दी नहीं जानता है, उसको हिन्दी के क्लास में भेज दिया जाता है । मैथ का टीचर है, उसको उर्दू के क्लास में भेज दिया जाता है कि उर्दू पढ़ाओ । तो इस तरह से व्यवस्था है, टीचर की कमी है । आप कहते हैं कि तरक्की हो रहा है शिक्षा में ? आपने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच ले आयेंगे किशनगंज में । क्या स्थिति है? कहाँ गया वह ? पैसा आपने दिया कि नहीं दिया ? वहाँ से बात किया कि नहीं किया? आप कहाँ शिक्षा में हैं, किस तरह से आप कीजिएगा ? चार साल पहले से ए0पी0पी0 की बहाली नहीं हुई, कोर्ट बाबू जो बहाल करते हैं, ए0पी0पी0 का, वह एक्जाम नहीं हो रहा है । कोर्ट में केस पेंडिंग है, आप केस का डिसपोजल नहीं करा पा रहे हैं । वर्षों-वर्षों केस ऐसे ही पेंडिंग चला जा रहा है । अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, उनको सजा नहीं मिलती है । मुख्यमंत्री पहले ही विधान सभा में बोले थे कि इनवेस्टीगेशन अलग करायेंगे, अलग

डिपार्टमेंट होगा, लॉ एण्ड ऑर्डर का डिपार्टमेंट अलग होगा, कहाँ डिपार्टमेंट बाय-फरकेट किये ये ? कहाँ चले गये ये लोग ? बात करना अलग बात है, उसको सरजमीं पर लाना अलग बात है । महोदय, इनकी इच्छाशक्ति कम हो गई है । इनका अब वह भाव नहीं रहा, इसलिये अब दिन-ब-दिन इनका एकबाल खतम हो जा रहा है । यही मोदी जी क्रिमिनल्स के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, क्रिमिनल्स जो बेलगाम हो गये हैं, उनको कह रहे हैं कि कम कर दो । ताकत से, रौब से हुकूमत चलता है, गिड़गिड़ाने से नहीं चलता है । आपमें इच्छाशक्ति है तो एक दिन में आप लॉ एण्ड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं ।

डॉक्टर का क्या हाल है ? हॉस्पीटल का क्या हाल है ? चमकी बुखार गया में, मुजफ्फरपुर में हो रहा है, आप और हम सब चर्चा किये, क्या बदहाली है। आज भी हॉस्पीटल की क्या स्थिति है ? हॉस्पीटल में जाइये तो जानवर बसेरा करते हैं । एडीशनल पी0एच0सी0 में कोई डॉक्टर नहीं जाता है । नर्सेज की कमी है, डॉक्टर नहीं हैं, आप हर मर्तबा कहते हैं कि हम डॉक्टर बहाल करेंगे, नर्सेज बहाल करेंगे, ए0एन0एम0 करेंगे लेकिन कहीं कुछ बहाली नहीं हो रही है । महोदय, अगर यह पैसा हमलोग दे रहे हैं तो जनता के हित में खर्चा करें, अपने मौज-मस्ती में खर्चा न करें ।

महोदय, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अभी मॉब लिंचिंग हुआ नवादा में, दलितों के साथ क्या हुआ ? अभी छपरा में हुआ । महोदय, लॉ एण्ड ऑर्डर इतना बिगड़ गया है कि परसों एक कांग्रेसी नेता फखरूद्दीन को खुलेआम दिन-दहाड़े तीन गोली अपराधियों ने उनसे सीने में ठोक दिया । लेकिन वहाँ आज तक वह हत्यारा पकड़ा नहीं गया । इस तरह की इनकी विधि-व्यवस्था है ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : बात तो हम समाप्त कर ही देंगे, महोदय । Expenditure budget is not an investment budget. ये खाली खर्चा इनवेस्टमेंट में कर रहे हैं । इनकी इच्छाशक्ति में कमी आ गई है । महोदय, अब इनकी लड़ाई हो गई है मुख्यमंत्री की। कभी जदयू वाले चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जायं, कभी भाजपा वाले चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री रहें ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब समाप्त कर दें ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : हम तो कहते हैं कि

''कभी चिलमन से ये झांकें, कभी चिलमन से वो झांकें,
लगा दो आग इस चिलमन में, न ये झांकें, न वो झांकें ।''

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी । 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे ।

श्री ललन पासवान : महोदय, मैं विनियोग (संख्या-2) विधेयक पारित करने के सवाल पर सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ ।

महोदय, सरकार 201071,02,28,000 रूपये के निकासी के सवाल पर आज सदन में विनियोग विधेयक लायी है । महोदय, समय का अभाव है, रामदेव बाबू कह रहे थे, सबसे बड़ी बात है कि सत्ता एक ऐसी चीज है कि मनुष्य जब सत्ता के करीब आता है तो दूसरी बात बोलता है और सत्ता के बाहर चला जाता है तो आलोचनाओं का, उसी सत्ता की आलोचना का दौर शुरू कर देता है । मनुष्य स्वभाव से लोभी होता है और सत्ता तो एक हिस्सा है ही ।

अभी बात कही जा रही थी, आजादी के 70 साल, 15 वर्ष और बिहार के बारे में अगर पीछे हम देखें तो शंकरबिगहा, बाथे, बथानी, नारायणपुर, घटनाएँ तो स्वाभाविक हैं, घटती हैं.... ...क्रमशः...

टर्न-14/आजाद/22.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री ललन पासवान : और लेकिन कई कारण है मनुष्य के आचरण का, उसके व्यवहार का, जात का, धर्म का, मजहब का, कई कारण है उसके उन्माद होने का मॉब लींचिंग का । मॉब लींचिंग के सवाल पर जहां चर्चा हो रही है, लेकिन आज बिहार सामूहिक नरसंहारों से दूर है । बिहार में यह बात कोई देश के लोग आते थे तो लोग दिल्ली से नहीं चलते थे कि बिहार होकर जाना है तो बिहार नीतीश कुमार और सुशील मोदी के आने के बाद बिहार जो कलंकित बिहार था, बदनाम बिहार था, वह बिहार आज गौरव का बिहार, जो गांधी का बिहार था, आज बिहार की तुलना देश और दुनिया में हो रही है । मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि नरेन्द्र मोदी को दुनिया के लोग जो देख रहे हैं, वह आज बिहार के कर्मो के आधार पर नीतीश

कुमार और सुशील मोदी ने जो कर्त्तव्य किया और जो विकास किया है, उसको लोग देख रहे हैं ।

सभापति महोदय, अब सात निश्चय की बात हो रही है तो आपको सड़क और बिजली की बात आपको कलेजे पर हाथ रखकर कहना ही पड़ेगा कि आज बिजली और सड़क की क्या हालत है, नहीं तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जहानाबाद, सासाराम की चर्चा करेंगे । इसीलिए जो सच है उसको कहना पड़ेगा लेकिन यहां शपथ खाकर भी सच कहने कर आदत नहीं है, यह संकट है ।

महोदय, हम समझ रहे हैं कि हमें 5 मिनट में ही अपनी बात खतम करनी है। (व्यवधान)

इसीलिए चर्चा सात निश्चय इधर से ही तय किये थे, सुशील मोदी और ललन पासवान उधर थे, उस समय व्याख्या करते आप थकते नहीं थे शक्ति यादव जी और रामानुज जी । आप नीतीश कुमार की गुणों की चर्चा जैसे राम जी का जप होता है, वैसे करते थे । इसीलिए हम उस समय भी और अभी भी हम विकास के सवाल पर चर्चा करते हैं । इसीलिए महोदय, हम एक आग्रह करेंगे आपके माध्यम से और माननीय वित्त मंत्री जी से, कृषि रोड मैप, पर्यटन और बुद्धा सर्किट और अन्य चीजों पर बोलने से पहले मैं एक आग्रह करूंगा कि हमारे यहां कैमूर पहाड़ पर,

(व्यवधान)

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य बैठ जायं ।

श्री ललन पासवान : महोदय, विकास की गाड़ी जितनी तेजी से बढ़ी है ....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य, गागर में सागर भर दीजिए ।

श्री ललन पासवान : महोदय, ये आज तक वहां पर बिजली नहीं जाने दिये थे, पीने का पानी वहां नहीं मिलता था, चुआरी का पानी लोग पीते थे । नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी का देन है कि वहां मनुष्य मनुष्य के रूप में देखा जा रहा है, नहीं तो वहां जानवर और मनुष्य एक ही घाट पर पानी पीते थे, पशु-पक्षी सब । इसीलिए महोदय, हम आग्रह करेंगे कि कैमूर पहाड़ जो है, आज कई पौधों से अलग होते जा रहा है, सखुआ, सागवान से लेकर महुआ, रूद्राक्ष, फलदार वृक्ष आम, खैर आदि के पेड़ लगाने का भी हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं ।

महोदय, हमारा इलाका उग्रवाद इलाका रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी गये भी थे और मैं आग्रह करना चाहता हूँ , अभी सामान्य विनियोग विधेयक पर

चर्चा हो रही है और हम मांग करते हैं कि रोहतास में एस0डी0पी0ओ0 कार्यालय खुले और रेहल में दर्जनों लोगों की हत्या हुई थी डी0एफ0ओ0 की हत्या हुई थी । पूरा देश और राज्य गर्म था उस सवाल पर, उग्रवादियों ने जीप में घसीटकर मारा था, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था और आग्रह करेंगे कि वहां रेहल में मॉडल थाना बने और नीचे एस0डी0पी0ओ0 कार्यालय बने और अमझोर थाना जो था, रोहतास में वह चला आया तिलौथू के बगल में और तिलौथू के बगल में 100 गज की दूरी पर दो थाना है तिलौथू और अमझोर थाना । लेकिन इस बीच में 27 से 28 कि0मी0 की दूरी तक बीच में कोई थाना नहीं है और चार राज्यों का शरणस्थली कैमूर अंचल रहा है और जहां उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और झारखंड जब कभी दबाव बनता है तो सारा उग्रवादी कैमूर के पहाड़ पर चढ़ जाता है । इसलिए महोदय, हम आग्रह करेंगे सरकार से कि वहां पर थाना और एस0डी0पी0ओ0 कार्यालय बनवा दे ।

महोदय, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय जो हमलोगों के यहां सबसे ज्यादा कन्स्टीच्यूट कॉलेज और सबसे एफिलेटेड कॉलेज रोहतास और कैमूर में है । 75 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक कहिए कि हमारे यहां इस विश्वविद्यालय में हमलोगों के इलाके के मुख्यालय में न तो कोई कर्मचारी और न पदाधिकारी है, हम इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : महोदय, हमारे यहां जो कॉलेज खुला है, उसमें पोस्टिंग हुई है । अभी इसके संबंध में सदन में सवाल था और तुरंत पोस्टिंग हुई है । अभी यहां से उठाकर भेज दिया गया है और बगल में कितने प्रमोद सिंह से लेकर कई लोग प्रोफेसर सिनियर लोग हैं नियमों का पालन करते हुए उनका पदस्थापन कीजिए । हमलोगों का जो इलाका है, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों का इलाका है, वनवासियों का इलाका है । इसलिए उस जगह रोहतास और कैमूर का जो बड़ा हिस्सा है, उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए । मुख्यालय में भी कर्मचारी-पदाधिकारी और कॉलजों में प्राचार्य का पदस्थापन हो रहा है, कई सिनियर विद्वान प्रोफेसर हैं, उनका पदस्थापन होना चाहिए लेकिन उनको यहां से कहां भेज दिया गया है । इसलिए हम आग्रह करेंगे कि हमारे यहां जो पहाड़िया डिग्री कॉलेज खुल रहा है, उसपर भी सरकार नजर रखें ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : ठीक है, अपनी बात समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : महोदय, हम आग्रह करेंगे कि हमलोगों के यहां सारे स्थितियों के बाद भी स्थायी बिजली का सरकार का आदेश हो चुका है लेकिन अक्टूबर में समय सीमा के अन्दर कैमूर पहाड़ी पर ग्रीड बैठ जाय और 200-250 गांव है, जो लोग पशुवत जिन्दगी में जीते हैं आजादी के बाद, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के अगुवाई में बिजली का बल्ब लोग पहली बार 70 वर्षों में देखा है, वहां पर स्थायी बिजली का इन्तजाम हो जाय, यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । बहुत, बहुत धन्यवाद । जयहिन्द ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी ।

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, मैं अनुदान मांगों के समर्थन में विभागवार राशि खर्च करने की जो विधिक प्रक्रिया है, उसके तहत सरकार विनियोग विधेयक लाती है और इसपर आज तमाम सदस्यों ने विस्तृत चर्चा की और आपने इसपर जो चर्चा का अवसर दिया, इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद ।

महोदय, आप सभी को यह पता है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में लगभग 88 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं । इस बिहार में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की चर्चा आप करें तो जहां पर 2015-16 में 9.4 प्रतिशत कृषि का योगदान था, वहां 2016-17 में जब कथित जंगल राज की सरकार थी महागठबंधन की, वह 16.8 प्रतिशत होता है और अभी आप 6.1 प्रतिशत पर आ गये । महोदय, इसलिए साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो रीढ़ है राज्य के विकास का, देश के विकास का किसान सबसे बड़ा रीढ़ है महोदय और किसानों को इस तरह उपेक्षा ये सुशासन बाबू की सरकार करेगी, यह कम से कम मुझे तो विश्वास नहीं होता । इसलिए मैं यह समझता हूँ कि जो भी विनियोग सरकार लायी है । आप जानते हैं कि आप विरोध करें या समर्थन करें, आप इसे पास करेंगे ही । इसका मतलब नहीं है । लेकिन यह मामला बड़ा ही गंभीर है । मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट का क्या स्थिति है । मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति यह है महोदय जहां 2016-17 में 4.8 प्रतिशत था, वहां मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट का अभी स्थिति 4.1 प्रतिशत का योगदान है । सकल घरेलू उत्पाद में जहां सम्पूर्ण हमारा 2016-17 में 15.3 प्रतिशत था, अभी घटकर मतलब 14.8 प्रतिशत हो गया तो हम लगातार कथित सुशासन और पता नहीं क्या-क्या सरकार के तिलस्म से, झांसे से अनैतिकता के ओट में जाकर के यह सरकार बनायी गयी 2017 में तो किस तरह से सरकार

बनी कि आपका राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2016-17 के मुकाबले आपका घट गया महोदय ।

महोदय, स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है, सरकार अपनी बात कहकर अपनी बात से तौबा कर लेती है कि भाई लीची खाने से बीमारी हो गई । लीची तो आज से नहीं, लीची तो जब से युग है, तब से पता नहीं जब से सभ्यता, संस्कृति डेवलप की है, तब से लीची और आम है । कभी लीची खाने से बीमारी नहीं होती थी। पता नहीं कौन सा शक्ल बचाना चाहती है सरकार कि लीची खाने का आरोप लगाकर के और कह देती है कि लीची खाने से बीमारी हो गयी । यह चमकी बुखार स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है महोदय। लीची खाने से नहीं कुपोषण से, आखिर लीची तो बड़े लोग भी खाते हैं । सिर्फ गरीब ही लीची नहीं खाते न, सिर्फ गरीब और कुपोषण के शिकार लोग ही मरते हैं । अस्पताल में अधिकृत रूप से लगभग 200 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन अनधिकृत रूप से अगर इसकी गणना करायी जाय तो हम उम्मीद करते हैं कि 700-750 से कम लोग नहीं मरे हैं महोदय और इतने मौत के जिम्मेवार सरकार के मंत्री ,

..... क्रमशः .....

टर्न-15/शंभु/22.07.19

श्री चन्द्रशेखर : क्रमशः....सरकार के मुखिया अपने आपको शर्म की स्थिति में भी नहीं ले जाते हैं पद छोड़ना तो दूर, प्राण छोड़ सकते हैं, पद छोड़ नहीं सकते हैं, अगर यह स्थिति अनैतिकता की हो जाय तो फिर इस विनियोग का कोई मतलब हमारे लिये नहीं बनता है, अप्रासंगिक हो जाता है । क्या हाल है, आप चले जाइये पी0एम0सी0एच0 में- अमूमन हमलोग जाते हैं पी0एम0सी0एच0 की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है इमरजेंसी का कम से कम एक दर्जन नहीं, दो दर्जन नहीं दर्जनों लोग जमीन पर बैठकर अपना इलाज कराते हैं । आज से नहीं 15 साल की सरकार हुई जरा बेड बढ़वाते आप इमरजेंसी का यह तो आप कर नहीं सकते हैं । महोदय, राज्य के जिला और अनुमंडल की क्या स्थिति है । एक दिन सरकार के मंत्री का जवाब देखा था, हमें हाथ लगा और देखा कि कह रहे हैं कि अनुमंडल अस्पताल उदाकिशुनगंज में दो डाक्टर काम कर रहे हैं, नहीं महोदय, वहां दो जी0एन0एम0 पर अनुमंडल अस्पताल चल रहा है । हमारे मधेपुरा के सदर अस्पताल जो जिला मुख्यालय में है उसकी क्या स्थिति है ? वहां कम से कम हड्डी, चर्मरोग सहित

आधा दर्जन विभाग में एक भी डाक्टर नहीं हैं फिर भी आपको विनियोग पर समर्थन चाहिए, खजाना की चाभी चाहिए, सबलोग देने के लिए बैठे हैं, लेकिन जो आपकी कमजोरी है आपको दिखाना, गिनाना हमलोगों का धर्म है, कर्त्तव्य है । शिक्षा की क्या स्थिति है, आप देखेंगे शिक्षा की स्थिति में कि आप किस हद तक ले गये शिक्षा को ये 14 साल के दरम्यान- 15 साल पहले क्या हुआ यह कहते-कहते अब 15 साल गुजर गया । यह संवेदनशून्यता की हद है । शिक्षा में आपने पिछले बजट से आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 4 परसेंट की कमी कर दी क्यों ? आप पुलिस विभाग को 16 प्रतिशत अधिक राशि दे देते हैं । 16 परसेंट पुलिस विभाग को क्या सरकार को पुलिस के डंडे का डर है ? सरकार को गरीबों का डर नहीं है । क्या सरकार यह बात नहीं जानती है कि जहां ज्ञान का सागर सूखा रहेगा वहां पर कुछ होनेवाला नहीं है । जहां शिक्षक भूखा रहेगा वहां शिक्षा पनपनेवाला नहीं है । 15 वर्षों में जो शिक्षा की दुर्गति हुई है, हम भी शिक्षक हैं कॉलेज से लेकर सारी स्थिति को जानते हैं । महाविद्यालयों की क्या स्थिति हुई है 15 साल में- 30 से 40 प्रतिशत कॉलेज में आधा से अधिक फैकल्टी गायब है, कोई टीचर नहीं है, ताला बंद पड़े हैं । फिर भी 15 साल है । महोदय..... हमको 5 मिनट भी नहीं । हमको तो अभी समय देना चाहिए । थोड़ा सा ही में हमको.....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अपनी बात अब समाप्त करेंगे ।

श्री चन्द्रशेखर : 5 मिनट नहीं, कम से कम 8-9 मिनट दे देते, 3 मिनट भी अभी नहीं हुआ । महोदय, इसलिए आपसे आग्रह है कि हो क्या रहा है शिक्षा के क्षेत्र में हाईस्कूल खुल रहे हैं । एक साथी मनोज जी बोल रहे थे कि खूब हाईस्कूल खोले, लेकिन आपके हाईस्कूल में शिक्षक हैं कि नहीं इसका भी पता कीजिए तो सही मनोज बाबू । हाईस्कूल खूब खुले अच्छी बात है, गांव तक जाए उच्च शिक्षा अच्छी बात है । माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सबका हाल खराब है । सिर्फ विद्यालय खुलने से शिक्षा जगत में बिहार का नाक नीचे है और हम प्रतिस्पर्धा दुनिया छोड़िए देश के राज्यों से भी करने में सक्षम नहीं हैं ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : ठीक है, अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, हम आपसे विनीत आग्रह करना चाहते हैं, अभी समय है । आपके सड़क की क्या स्थिति है- पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें एक बरसात भी नहीं टिकती है सड़कें धुल जाती है । माननीय सदस्य लोग बैठे हैं सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है । मैं आपसे कहना चाहता हूँ महोदय, सिर्फ और

सिर्फ गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद के नाम पर हम अपना पीठ नहीं थपथपा सकते हैं।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : ठीक है, अब अपनी बात समाप्त करें ।

श्री चन्द्रशेखर : हम देश को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा नहीं कर सकते हैं । अगर देश को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना है तो हमें शिक्षा, समानता, समाजवाद, भाईचारा के आधार पर ही खड़ा कर सकते हैं दूसरा कोई विकल्प नहीं है । देश को अगर हमको खड़ा करना है तो हम नागपुर के विचारों से नहीं खड़ा कर सकते हैं । हम खड़ा कर सकते हैं समाजवाद के योद्धा लोहिया जी के विचारों से, हम खड़ा कर सकते हैं आचार्य नरेन्द्र देव और जी0बी0 कृपलानी के विचारों से, हम खड़ा कर सकते हैं बी0पी0 सिंह जैसे महान हैसियत के बदौलत, हम खड़ा कर सकते हैं जन नायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से, हम खड़ा कर सकते हैं महात्मा फुले और पेरियार के योगदान और विचार से, हम खड़ा कर सकते हैं सामाजिक न्याय के योद्धा.....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य सुदामा प्रसाद जी, 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, मेहनत करनेवाले जो किसान मजदूर हैं उनकी गाढ़ी खून पसीने की कमाई से खजाना भरता है और वही पैसा हमलोग देते हैं सरकार को खर्च करने के लिए लेकिन सरकार क्या खर्च कर रही है इसका कोई हिसाब-किताब नहीं देती । इसी सरकार में ए0सी0/डी0सी0 बिल घोटाला हुआ था । इसी सरकार में सी0ए0जी0 ने कहा था कि जितना खर्च हुआ उससे ज्यादा की निकासी हुई तो महोदय, पैसा खर्च हो गांव के गरीबों के विकास के नाम पर, मजदूर किसानों के विकास के नाम पर ये पैसा दिया जाता है, लेकिन हमलोग गांवों में जाते हैं तो वहां आवास का अभाव, वहां रोजगार का अभाव, वहां राशन-किरासन का अभाव ये सारे अभाव वहां हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कमाये धोती वाला और खाये टोपी वाला का राज चल रहा है । पैसा लेते हैं गरीबों के विकास के नाम पर और इस खजाने पर भ्रष्टाचार का कब्जा रहता है । इसपर रोक लगाया जाय आपसे हमारी गुजारिश है । दूसरी बात यह कहना चाहते हैं कि सरकार बार-बार कह रही है कि हम 5 डि0 जमीन देंगे, लेकिन 5 डि0 जमीन देना तो दूर गरीब उजाड़ो अभियान चलाया जा रहा है इस सरकार में इसपर रोक लगे तभी विनियोग विधेयक की महत्ता है । तीसरी बात आप कह रहे हैं कि वित्तीय प्रबंधन में बिहार सबसे

आगे है इसके लिए जाना जाता है तो चमकी बुखार के लिए क्या कहा जायेगा, सृजन घोटाले के लिए क्या कहा जायेगा, मुजप्फरपुर रिमांड होम में जो यौन उत्पीड़न हुआ उसके लिए क्या कहा जायेगा, अभी बाढ़ आयी हुई है और लोग एक मुट्ठी चूड़ा के लिए तरस रहे हैं, एक ढेली गुड़ के लिए तरस रहे हैं उसके लिए क्या कहा जायेगा ? अगर आपको खजाना खर्च करना है तो इन जरूरतमंद लोगों पर कीजिए । मैं आपसे यह नम्र निवेदन करता हूँ धन्यवाद ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आज बिहार विनियोग संख्या(2) विधेयक, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज बिहार सर्वांगीण विकास कर रहा है यह देश ही नहीं दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है । आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार का जो वित्तीय प्रबंधन है एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में है जिस नेतृत्व को पिछली भारत की सरकार ने भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह का अध्यक्ष बनाया था और सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का उनको उपाधि भी दिया था । आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी जिनके नेतृत्व में वित्तीय प्रबंधन कर बिहार विकसित होने का पैमाना प्राप्त कर रहा है । बिहार का सभी क्षेत्र चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो जो भी क्षेत्र है बिहार में काम करनेवाला आज कुशल वित्तीय प्रबंधन है सुशील जी के नेतृत्व में तभी बिहार आगे बढ़ रहा है । आज किसी भी क्षेत्र में पैसे की कमी नहीं हो रही है । महोदय, अभी बता रहे थे ये लोग कि बाढ़ आई है, लेकिन बाढ़ आई है तो उसमें आज किचेन भी खुला हुआ है, सभी जगह सामुदायिक किचेन खुला हुआ है और सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था हो रही है । सभी के खाते में पैसे भी जा रहे हैं जिन्होंने अपना खाता उपलब्ध करा दिया है उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, लेकिन यह काम पहले नहीं होता था । आज शिक्षा की बात चलती है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां छत नहीं है, लेकिन एक समय था महोदय, कि आधे से अधिक विद्यालयों की पढ़ाई पेड़ के नीचे होती थी और जैसे ही धूप की किरण पड़ती थी या बरसात का मौसम शुरू होता था बच्चों की छुट्टी कर दी जाती थी, बच्चे घर चले जाते थे । आज कम से कम इस राज्य में कोई विद्यालय ऐसा नहीं है जो भवनहीन हो और बच्चों के बैठने की जगह

नहीं हो । आज गांव में डिजिटल सेंटर खुल रहा है, आर0टी0पी0एस0 का काउंटर खुल रहा है । आज ब्लॉक के चक्कर के बदले अपने गांव, पंचायत में आर0टी0पी0एस0 के काउंटर पर अपना आवेदन डाल रहे हैं । आज डिजिटल सेवा के माध्यम से जिन गांवों में सरकार ने डिजिटल सेवा शुरू कर दिया है उन गांवों में डिजिटल सेवा के माध्यम से छोटे-छोटे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और जो एम्स में जाकर लंबी लाइन लगाकर एक-एक महीना रहकर अपने इलाज के लिए नंबर लेना पड़ता था, लेकिन आज गांव में डिजिटल सेवा के माध्यम से लाइन लगाकर वहीं से विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न-16/ज्योति/22-07-2019

क्रमशः

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : आज बिहार प्रगति के रास्त पर जा रहा है, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में कई प्रकार का मिसाल, यह बिहार प्रस्तुत कर रहा है । अभी हाल में 13 तारीख को सिर्फ मानवीय विकास ही नहीं, मानवीय जीवन के लिए भी बिहार कृतसंकल्पित है और आगे बढ़कर सोच रहा है । जीवन, जलवायु पर पिछले दिन जो बिहार में सेमिनार बुलाया गया था, जिसमें सभी माननीय सदस्य शामिल थे । जीवन, जलवायु और हरियाली पर या कह सकते हैं हम कि बिहार एक अजूबा राज्य है । इस मामले में भी कि हमारा जीवन कैसे बचे, हम सोच रहे हैं, ऐसी सोच दुनिया में बिहार के रास्ते ही प्रतिपादित हो रहा है और मुझको पूरी उम्मीद है कि सरकार इसके लिए भी कि हमारा जीवन कैसे बचे, हमारे जलवायु की सुरक्षा कैसे हो और हरियाली कैसे बिहार में बढ़े ताकि हमारा जीवन भी सुरक्षित रहे । इसके लिए भी बिहार सोच रहा है और यह बिहार सभी क्षेत्रो में आगे बढ़ रहा है और इसका नतीजा यह है कि यह कुशल वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, जहाँ किसी विभाग में पैसे की कमी नहीं होती, नहीं तो, महोदय, एक समय था, जब मंत्री बनते थे तो उनको विभाग नहीं दिया जाता था और उस मंत्री के विभाग को बजट दिया जाता था तो उसका जो स्थापना व्यय रहता था, उतना भी उनको बजट नहीं दिया जाता था, इसी बिहार का ...

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य अब समाप्त करेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, बिहार नमूना था लेकिन आज बिहार सुशील जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास कर रहा है । इनका कुशल वित्तीय प्रबंधन है, उसमे ंबिहार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा । मैं आदरणीय सुशील जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और सदन से आग्रह कर रहा हूं कि आप इस विनियोग विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें । बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और हमारे क्षेत्र की जनता ने यहॉ खड़ा होने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री तार किशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री सुबोध राय जी ।

श्री सुबोध राय : सभापति महोदय, मैं अपने आदरणीय वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारे यहॉ वित्तीय प्रबंधन में जो कुशलता हासिल किया है और उससे बिहार को लाभान्वित किया है, आज यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और बिहार के हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री जी हैं श्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों के विचारधाराओं, दोनों की सोच और सपनों को मिला करके उन्होंने पूरे बिहार में आज जिस गतिशीलता के साथ विकास की गंगा को आगे बढ़ाया है, सभी उससे आश्चर्यचकित हैं और आज इसीलिए यह स्पष्ट रुप से हम कह सकते हैं कि बिहार में एक नया कीर्तिमान हासिल किया गया है । सभी विभागों में आज कौन नहीं जानता है कि जितना खर्च बढ़ा है तो हमारे यहॉ की आबादी बढ़ी है, हमारी जरुरतें बढ़ी हैं । हमारी समस्यायें बढ़ी हैं । हमने बड़े बड़े प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और बराबर कर रहे हैं, इसके लिए हमारे ऊपर वित्तीय भार बढ़ा है । हमने कभी गुरेज नहीं किया और जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार तत्पर रही है और जब भी प्राकृतिक आपदा आयी है, हमारे मुख्यमंत्री अपने से घूम घूम कर कैम्पों में उन लोगों की खबर ले रहे हैं जो कि आज बाढ़ जैसी आपदा से पीड़ित है । उसीतरह जिस चमकी बुखार की चिन्ता हमारे लोग कर रहे हैं । हमारे मित्र कभी वहॉ गए नहीं लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बहुत देर से ही सही लेकिन जा कर उन्होंने वहॉ जो प्रबंधन में कमियॉ थीं उसको दुरुस्त करने का काम किया है । यह कौन नहीं जानता है कि नीतीश कुमार ने कभी अपनी गलतियों को, कभी अपनी त्रुटियों को कभी अपनी किसी भी कमजोरियों को छिपाने का काम नहीं किया है । इसलिए आज जरा सुनिये सभापति महोदय, ''हर जर्रा चमकता है, हर जर्रा चमकता है, अनवारे इलाही से,

हर जर्रा चमकता है, अनवारे इलाही से और हर सांस ये कहती है हम हैं, तो खुदा भी है ।'' ये आज नीतीश कुमार आज जिस ढंग से बिहार की जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, वह काबिलेतारीफ ही नहीं अनुकरणीय है, सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है और इसलिए उसके वित्त मंत्री हैं आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी दोनों की जोड़ी आज बिहार को नयी दिशा दे रही है । नये विकास की ओर ले जा रही है दुनिया का कौन ऐसा विकसित देश है जो कुशल प्रबंधन में आगे नहीं है । हमारे भाई बैठे हैं चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है और एशिया में जाहिर कर दिया है कि उसने हर तरह के कुशल प्रबंधन के जरिये महाशक्ति भी बना और आज बहुत ज्यादा आर्थिक शक्ति भी बन गया लेकिन बाढ़ की समस्याओं ने किस तरह से परेशान किया । क्यों गए उनकी मदद करने के लिए ? आज बिहार में अगर कोई भी समस्या पैदा होती है तो हम अपने बलबूते पर, बिहार की जनता के बल पर, बिहार के संसाधनों के बल पर, हमारी एन.डी.ए. की सरकार उसका मुकाबला कर रही है और जनता को निजात देने का काम कर रही है तो इसलिए महोदय, मैं सरकार के द्वारा पेश किए गए विनियोग विधेयक के समर्थन में अपनी बात कह रहा हूँ । धन्यवाद ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार जी । 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करिये ।

श्री जिवेश कुमार : धन्यवाद , 7 मिनट था कुछ रहम करिये हुजूर । महोदय, माननीय रामदेव बाबू आज विषय पर चर्चा करने के क्रम में बोल रहे थे कि 55 साल में हमलोगों ने यह किया । बहुत सारी उपलब्धियाँ अपनी गिनती करा दिए । 55 साल में जो लोग बुनियादी व्यवस्था इस देश के अंदर नहीं कर पाये, शौचालय आवास जैसी चीज गरीबों को नहीं दे पाये, उनको कुछ कहने का अधिकार कम से कम मैं समझता हूँ कि नहीं है और नलकूप की बात कर रहे थे हुजूर, नलकूप को तो बेवकूफ ये लोग अपने ही जमाने में बना गए थे । आज यह सरकार है जो नलकूप को चलाने की चिन्ता कर रही है और पंचायती राज के माध्यम से हम नलकूप को बहुत जल्दी दौड़ाने जा रहे हैं, हुजूर और डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया.....

(व्यवधान)

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): समय की कमी है । माननीय सदस्य बोलने दें ।

श्री जिवेश कुमार : डिजिटल इंडिया, वे हमारे पड़ोसी है उनको पेट में दर्द होता हे । डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की बात करने वालों को थोड़ा कहना चाहते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा पेसेंस रखिये । अगर राजीव गांधी ने इसको शुरु किया था तो थोड़ा पेसेंस रखिये आप और वित्तीय प्रबंधन का जहॉ तक सवाल है तो वित्तीय प्रबंधन का लोहा तो पूरा देश और पूरा बिहार मान रहा है हुजूर ।

सभापति(श्री तार किशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य दोजाना जी बैठ जांय ।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, ये जोड़ी हिट है और जनता मे फिट है । यह लोक सभा चुनाव में पता चल गया कि यह नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी इस सदन के अंदर हीट नहीं है, जनता में भी फिट है हुजूर और जो लोग परिवार प्रेमी लोग हैं, जो मेरी दायीं तरफ बैठते हैं, उनके पेट में भी दर्द अब हो रहा है, उनको भी अब लग रहा है कि परिवार प्रेम से भाग कर, अब बिहार प्रेम करना चाहिए हुजूर । उसके भी संकेत अब आने शुरु हो गए हैं लेकिन क्या है, समयाभाव है हुजूर, मैं एक विषय रखना चाह रहा था कि पूरे बिहार में उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है और दक्षिण बिहार के अंदर आज भी कहीं कहीं सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है इसलिए आपदा प्रबंधन से (व्यवघन) मैं आपकी बात कर रहा हूॅ ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): शांति, शांति । टोका टोकी न करें बोलने दें उनको ।

श्री जिवेश कुमार : आपदा प्रबंधन से, मैं सरकार से निवेदन करता हूॅ कि आपदा प्रबंधन में से 50 हजार चापाकल इस सदन के अंदर लाकर, एक प्रस्ताव बनाकर पास कर माननीय विधायकों के हवाले किया जाय कि पानी के हाहाकार से जनता को निजात मिल सके और इसके लिए हुजूर, केवल 350 करोड़ रुपये की लागत होगी और 350 करोड़ रुपये केवल लगेगा हुजूर ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): शांति बनाए रखें । टोका टोकी क्यों करते हैं ।

श्री जिवेश कुमार : लोग बजट की चिन्ता कर रहे थे, शिक्षा की बात करने वाले लोगों का दिन जरा याद करिये । चरवाहा विद्यालय खोल दिए थे और कलम में स्याही भरने के बदले लाठी में तेल पिला रहे थे और जो सरकार आज 34 हजार करोड़ बिहार की शिक्षा के लिए आज लाना चाह रही है । उसको नजीर पेश करने का काम कर रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न-17/22.07.2019/बिपिन

श्री जिवेश कुमारः क्रमशः.. उसको नजीर पेश करने का काम कर रहे है । आप कलम में स्याही भरने का काम किए होते तो आज बिहार की स्थिति अलग होती और स्वास्थ्य की बात कर रहे थे हुजूर, थोड़ा-सा झलक मैं दिखा देना चाहता हूं स्वास्थ्य का । अब ये कहेंगे कि पीछे मत जाइए, पीछे आपका जब तक हम गणना नहीं करेंगे तो हमारा विकास आपको समझ में कैसे आएगी ? जरा याद करिए कि 2004-05 में आपके जमाने में 39 पेशेंट एक पी.एच.सी. में आता था एक महीने में, आज 10,000 से अधिक पेशेंट पी.एच.सी. में आ रहा है । आपके जमाने में आपके मंत्री, नेता को भी दवाई नहीं मिलता था, आज हम दवाई उपलब्ध गरीब जनता को करा रहे हैं ...

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जिवेश कुमार जी, अब आप समाप्त करिए । आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री जिवेश कुमारः हुजूर, एक मिनट । हमको आसन से आस है कि एक मिनट ....

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए । समाप्त करिए । अब आपका समाप्त हो गया । अब माननीय मंत्री जी स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलेंगे ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : क्या है प्रह्लाद जी ? आप जिवेश जी, बैठ जाइए । आपका समाप्त हुआ ।

श्री प्रहलाद यादव : विनियोग विधेयक पर जितना भी डिबेट अभी हुआ है, सत्ता पक्ष से ....

अध्यक्ष : प्रह्लाद जी, अभी डिबेट नहीं हुआ है । विनियोग विधेयक की स्वीकृति प्रस्ताव पर माननीय सदस्य बोल रहे थे ।

श्री प्रहलाद यादवः महोदय, लोगों ने अपनी-अपनी बात कही है और सत्ता पक्ष ने कहा कि बिहार बहुत धनाढ्य है तो विशेष राज्य के दर्जा के बारे में तो माननीय मंत्री ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विनियोग विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग अब अपनी बात रखेंगे ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः महोदय, मैं बिहार विनियोग संख्या (2) विधेयक, 2019 की स्वीकृति पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय, सदन को यह ज्ञात है कि फरवरी-मार्च महीने में जो विधान सभा का सत्र हुआ था तो चार महीनों के लिए खर्च की अनुमति विधान मंडल

से प्राप्त की गई थी और अब यह पूरे बजट की स्वीकृति के लिए विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, सदन को यह ज्ञात है कि जहां जब हमलोग सरकार में आए थे उस समय बिहार का बजट 23885 करोड़ रूपया था और 2019-20 में जब आज सदन इस विधेयक को पारित करेगा तो बजट का आकार बढ़कर 2,00,501 करोड़ रूपया हो गया है यानी लगभग नौ गुणा इस बजट में वृद्धि हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से अलग-अलग मांगों पर अलग-अलग विभागों पर यहां पर विस्तृत चर्चा हुई है । माननीय मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग का उत्तर भी दिया है और सदन ने उन माँगों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है और सभी सदस्यों को ज्ञात है कि विनियोग विधेयक, ठीक ही कहा बोलचाल की भाषा में कि सदन ने अलग-अलग विभाग कितना खर्च करेगा, इसकी तो स्वीकृति प्रदान कर दिया लेकिन जो खजाना है, जो संचित निधि है, उससे तब तक पैसा निकाला नहीं जा सकता, जब तक यह विनियोग विधेयक पारित न हो जाए । इसे बोलचाल की भाषा में ठीक ही कहा जाता है कि चाबी देने का यह बिल है कि अब आपको चाबी मिल रही है खजाने की कि सरकार सरकारी खजाने से पैसा निकाल कर उसको खर्च कर सके, तो अध्यक्ष महोदय, मैं केवल कुछ ही विषयों का जिक्र करूंगा चूंकि अधिकांश विषयों पर यहां चर्चा हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बाढ़ की चर्चा करना चाहूंगा । सदन को यह ज्ञात है कि इस समय बिहार के अंदर जो बाढ़ आई हुई है, हाल के वषों की एक बड़ी बाढ़ है और अभी तक बिहार के 12 जिले, 104 प्रखंड, 1169 पंचायत और लगभग 72,78,000 की आबादी प्रभावित है । यद्यपि 2017 में जो बाढ़ आई थी वह बाढ़ इससे काफी बड़ी बाढ़ थी । उस बाढ़ के अंदर 1,72,000 लोग प्रभावित हुए थे और 649 लोगों की मृत्यु हुई थी । इस बाढ़ में अभी तक 102 लोगों की मृत्यु हो चुकी है । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 133 राहत शिविर, जिन शिविरों में 1,14,000 लोग आश्रय लिए हुए हैं, 776 सामुदायिक शिविर जो कम्युनिटी कीचेन हैं वह चलाए जा रहे हैं और अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कल ही तीन जिलों का दौरा किया था । इसके पहले हवाई सर्वेक्षण भी किया था । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार के लिए आपदा से जो प्रभावित लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, और बार-बार मुख्यमंत्रीजी कहते हैं कि जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, उनपर सरकारी खजाने का सबसे पहला अधिकार है और इसीलिए

2017 की बाढ़ जो आई थी उसमें 38 लाख परिवारों को 6-6 हजार रूपया उनके खाते में दिया गया था और अध्यक्ष महोदय, यह राशि थी 2358 करोड़ रूपया । अगर यह बाढ़ नहीं आई होती थी तो 2358 करोड़ रूपया दूसरे विकास कार्यों में खर्च हुआ होता, लेकिन आपदा से ग्रस्त लोगों से 38 लाख परिवारों को 2358 करोड़ रूपया उनके खाते में भेजने का काम किया गया था । अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी भी याद है कि लगभग बाढ़ के एक-सवा महीने बाद यह पैसा भेजा जाना प्रारंभ हुआ था । लेकिन मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, 12-13 तारीख को बाढ़ आई और 20 तारीख को पहला ट्रेंच यानी पहली किस्त या पहला खेप जो है वह लोगों के खाते में जाना प्रारंभ हो गया और अभी जो मुझे आज का आंकड़ा प्राप्त हुआ है कुछ देर पहले का, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 4,91,000 लोग और 295 करोड़ रूपया अभी तक बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजा जा चुका है और जो नई पद्धति है भेजने की, वह हर सेकेंड पैसा जा रहा है, यानी अगर अभी देखेंगे तो हो सकता है और सौ लोगों को पैसा चला गया होगा । सभापति महोदय, अगर 38 लाख लोगों को पिछली बार गया था तो इस बार यह आंकड़ा बढ़कर मुझे पता नहीं, पंद्रह लाख, बीस लाख कितने परिवारों को देना पड़ेगा लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से सदन के माध्यम से बाढ़ पीड़ित परिवारों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि एक भी बाढ़ पीड़ित परिवार वंचित नहीं रहेगा ।

एक दुष्प्रचार हो गया कि जो पुरानी सूची थी उसके आधार पर पहले खेप का पैसा गया । कई जगह लोगों को लग रहा है कि हमको मिला कि नहीं मिला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा और चूंकि एस.एम.एस. से सूचना जा रही है तो सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को हम सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहेंगे कि एक भी बाढ़ पीड़ित परिवार जो है, इससे वंचित नहीं रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, अभी तो केवल हाल की बात, अक्तूबर महीने में सूखा पड़ा था बिहार में और बिहार सरकार ने 25 जिलों के 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया था 15 अक्तूबर 2019 को, एक साल भी पूरा नहीं हुआ और उसमें हमलोगों ने 14,19,000 परिवारों को 931 करोड़ रूपया लोगों के खाते में देने का काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, फसल सहायता योजना के तहत 3,85,117 किसानों को 317 करोड़ रूपया दिया गया है । बाढ़ पीड़ित किसानों को यह भी कहना चाहूंगा कि 6-6 हजार रूपया तो जी.आर. है, इसके अतिरिक्त जो फसल की क्षति हुई है उस

फसल की क्षति के लिए आपदा राहत कोष से जो प्रावधान है उससे भी उनको क्षतिपूर्त्ति की जाएगी । जो मकान क्षतिग्रस्त है उसका भी अलग से पैसा दिया जाएगा और फसल सहायता योजना के माध्यम से भी यह पैसे का भुगतान किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय, 2019-20 के इस बजट में हमलोगों ने 4320 करोड़ रूपए का प्रावधान आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किया है और जो कंटिन्जेंसी जिसको कहते हैं, उसके आकार को बढ़ाकर 8020 करोड़ कर दिया गया है और जब जितनी रूपए की आवश्यकता होगी, पैसों की कोई कमी नहीं होने देंगे और इसलिए बाढ़ पीड़ित परिवारों को हम आश्वस्त करना चहते हैं कि हर तरह के राहत पहुँचाने का काम राज्य सरकार की ओर से पूरी मुश्तैदी से किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय....

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : एक मिनट महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अभी हाउस में जो चिंता व्यक्त की है कि बाढ़ की विपदा के कारण राज्य सरकार को जो अन्य विकास कार्य में राशि खर्च हो सकती थी, उसको खर्च करना पड़ रहा है बाढ़ में । इन्होंने कहा कि अभी तक 295 करोड़ रूपया वितरित किया जा चुका है । तो हम वित्त मंत्री जी से यह जरूर अनुरोध करेंगे और सदन, मुझको लगता है इसमें सहमत होगा कि जो बाढ़ है इसको राष्ट्रीय समस्या माने ....क्रमशः ....

टर्न : 18/कृष्ण/22.07.2019

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : क्रमश : इसलिये कि जो नदियां हैं, वे नदियां नेपाल से, हिमालय से आती हैं तो यहां से यह प्रस्ताव जाना चाहिए कि बाढ़ एक राष्ट्रीय आपदा है और केन्द्र सरकार इसका वहन करें ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार के अंदर शिक्षा पर सरकार इस वर्ष 34,798 करोड़ रूपया खर्च करने जा रही है । माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश था 2013 में ही कि सभी पंचायतों में एक-एक माध्यमिक उच्च विद्यालय प्रारंभ किया जाय और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अभी तक बिहार के अंदर 5,510 पंचायतों में और माध्यमिक उच्च विद्यालय प्रारंभ कर दिया गया है और अब सरकार ने यह तय किया है कि बाकी बचे 2,876 पंचायत, जो ऐसे हैं जहां 75 डिसमिल जमीन भी उपलब्ध नहीं है । तो राज्य सरकार ने यह तय किया है कि अगले अप्रील के पहले-पहले उन सभी पंचायतों में, जो पहले से वहां

विद्यालय हैं, वहां पर आवश्यकता होगी तो प्रीफेब्रीकेटेड यानी फेब्रीकेट करके कमरों का निर्माण किया जायेगा और मुख्यमंत्री का निदेश है कि 2010 के अप्रील तक एक भी पंचायत बिहार की नहीं रह जायेगी, जहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होगा । साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, जमाना है आई0 टी0 आई0 का है, टेकनोलॉजी का जमाना है और उन्नयन बांका के नाम से हम सभी लोग परिचित हैं और अब स्मार्ट क्लासेस का कंसेप्ट आ गया है कि कमरे में टी0वी0 लगाकर और वीडियो के माध्यम से शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और यह जो उन्नयन बांका है, इस मोडल की देशभर में प्रशंसा हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बांका के डी0एम0 को सम्मानित करने का काम किया और अब राज्य सरकार ने तय किया है कि बिहार के जितने उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उन सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ किये जायेंगे । साथ ही, जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहां 55 इंच का टी0वी0स्क्रीन, विडियो, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट और 90 हजार रूपया प्रति विद्यालय सरकार ने देना प्रारंभ दिया है और अगस्त महीने से और अभी हर जिले में पायलट बेसिस पर एक-एक विद्यालय के अंदर स्मार्ट क्लासेस का प्रयोग प्रारंभ हो गया है, हर जिले के 6 शिक्षकों को बांका ले जाकर उनको प्रशिक्षित किया गया है और कुल 5,726 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अगस्त महीने से टी0वी0 लगाकर स्मार्ट क्लासेज में पढ़ाने का काम प्रारंभ हो जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठे-बैठे बोलना मना है ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार राज्य सरकार ने इस बजट में जहां वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर बिहार सरकार ने 7,793 करोड़ का प्रावधान किया था, उसमें 24 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वे 2019-20 के बजट में 9,622 करोड़ रूपये का स्वास्थ्य के लिये प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पूर्णियां के अंदर 365 करोड़ की लागत से 300 बेड और 100 छात्रों का मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है ।

सारण जिले के छपरा में 425 करोड़ की लागत से 500 बेड और 100 छात्रों का मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का काम प्रारंभ हो गया है । राज्य

सरकार ने वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, बक्सर में 3,060 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान की है । निविदा/टेंडर हो गया है और तीन महीने के अंदर इन सभी मेडिकल कॉलेजेज के बिल्डिंग्स बनाने का काम प्रारंभ हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मधेपूरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज 781 करोड़ की लागत से अक्टूबर, 2019 तक बिल्डिंग का काम पूरा हो जायेगा और अगले शैक्षण्कि सत्र से मधेपूरा के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू हो जायेगी । उसी प्रकार बेतिया में 775 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनाने का काम चालू हो गया है और मेडिकल की पढ़ाई हो रही है और कुल मिलाकर राज्य सरकार 11 नये मेडिकल कॉलेज केन्द्र और राज्य दोनों के सहयोग से बिहार में स्थापित करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, कैंसर के मरीजों को बड़ी संख्या में ईलाज कराने के लिये मुम्बई जाना पड़ता है । बिहार में दो नये कैंसर संस्थान एक आई0जी0आई0एम0एस0के अंदर 138 करोड़ की लागत से 100 बेड का अत्याधुनिक बिल्डिंग बनाने का काम चालू हो गया, अगल 10 महीने में स्टेट कैंसर संस्थान आई0जी0आई0एम0एस0 में काम करना प्रारंभ कर देगा और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में 200 करोड़ की लागत से परमाणु ऊर्जा आयोग और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से, हमलोगों ने जमीन उपलब्ध करा दिया है, वहां भी कैंसर अस्पताल स्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, इस साल राज्य में 2 नये मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में प्रारंभ करने की अनुमति एम0सी0आई0 ने दी है । मधुबनी में मेडिकल कॉलेज 150 सीट और लार्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा में 100 सीट केन्द्र की एम0सी0आई0 दो नये मेडिकल कॉलेज चलाने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय, इस साल 440 सीटों की वृद्धि होगी मेडिकल कोर्सेस के अंदर और ऊंची जाति के गरीब लोगों को जो 10 परसेंट आरक्षण दिया गया था तो पहली बार बिहार के अंदर जहां 440 सीटों की वृद्धि की गयी है, वहां पर ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिये 190 सीटों का प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ, मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिस आर्य भट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, राज्य सरकार इस बात का विचार कर रही है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मेडिकल और पारा मेडिकल कॉलेज हैं इसके लिये कमिटी का गठन किया गया है और वह उसके अध्ययन करने का का कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार के नौजवानों को हुनरमंद बनाने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है । मुख्यमंत्री का निश्चय था कि हर जिला में एक इन्जीनियरिंग कॉलेज होगा । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि बिहार के सभी 38 जिलों में 1-1 इन्जीनियरिंग कॉलेज कार्य प्रारंभ हो चुका है और उसमें 9,215 लड़कों का नामांकन होगा और 10 निजी क्षेत्रके इन्जीनियरिंग कॉलेज बिहार में चल रहे हैं, 10जिलों में 16 इन्जीनियरिंग कॉलेज तो बिहार में कुल 54 इंजीनियरिंग कॉलेज इस शैक्षणिक सत्र से और कार्यरत हो जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार हर जिले में एक-एक पॉलिटेनिक कॉलेज खोलना था तो 38 जिलों में 45 सरकारी पॉलिटेकनिक कॉलेज कार्यरत हो गये हैं जिसमें 11,332 छात्रों का नामांकन होगा और 26 प्राईवेट पॉलिटेकनिक कॉलेज है तो कुल मिल ाकर 71 पॉलिटेकनिक कॉलेज बिहार में हो जायेंगे और राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय मिलाकर 12 यानी अगर प्राईवेट और सरकारी इन्जीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटकेनिक कॉलेज को जोड़ लें तब बिहार में 137 इन्जीनियरिंग और पॉलिटेकनिक कॉलेज स्थापित हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार आई0टी0आई0 माननीय प्रधान मंत्री कहते थे कि 20वीं शताब्दि अगर आई0आई0टी0 के नाम से थी तो 21वीं शताब्दि आई0टी0आई0 के नाम से होगी । अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विभाग का मंत्री था, 2007-08 में और आज मुझे बताते हुये खुशी हो रही है कि आज बिहार में 149 सरकार आई0टी0आई0 काम कर रहे हैं और जिनके अंदर नाम लिखाने वाले लड़कों की संख्या 26,800 है और प्रत्येक अनुमंडल में एक-एक आई0टी0आई0 खोला जाना था, दो-चार अनुमंडल छोड़कर लगभग सभी अनुमंडलों में आई0टी0आई0 स्थापित हो गया है तो 2007 में 29 सरकारी आई0टी0आई0 थे, जो बढ़कर 149 सरकारी आई0टी0आई0 हो गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण सड़कों का जहां तक सवाल है पिछले 13 सालों के अंदर 2006 से लेकर जून,2019 तक, मैं सदन को बताना चाहूंगा,

90,813 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है और जिसपर कुल मिलाकर 43,508 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं ।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय, इस साल सड़कों पर चाहे वह पथ निर्माण विभाग की सड़कें हों या ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें हों, कुल मिलाकर 17,923 करोड़ रूपये बिहार के अंदर सड़कों पर खर्च किया जा चुका है ।

टर्न-19/अंजनी/दि0 22.07.2019

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : क्रमशः.... अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें हैं, उन सड़कों पर और मरम्मती के लिए 2019-20 में 900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, साथ-ही-साथ, पथ निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं, उन पथ निर्माण विभाग की सड़कों के रख-रखाव पर अगले सात वर्षों में 13,064 किलोमीटर पथों पर 6,655 करोड़ रूपया केवल उनके अनुरक्षण और मेन्टेनेंस पर खर्च किया जायेगा।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया)

सभापति महोदय, हल्ला गुल्ला में लोग ठीक से सुन नहीं पाये, इसलिए दुबारा दोहरा रहा हूं कि इस साल 2019-20 में 17,923 करोड़ रुपया सरकार केवल ग्रामीण कार्य और पथ निर्माण के सड़कों पर खर्च करेगी और इस 17,923 करोड़ में और जैसा मैंने बताया कि इस 13 साल में 2006 से लेकर जून 2019 तक 90813 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, जिसपर 43,508 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और इस साल हम 900 करोड़ रुपया बिहार सरकार पथों के अनुरक्षण पर खर्च करने का काम करेगी । उसी प्रकार पथ निर्माण विभाग जो है ओ.पी.आर.एम.सी. फेज-2 में 6655 करोड़ की लागत से 13064 कि.मी. पथों का 7 वर्षों तक संधारण करने का काम करेगी सभापति महोदय । राज्य के विकास का एक पैमाना यह भी है कि कितनी गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, कितने वाहनों की बिक्री हो रही है, जहाँ 2016-17 में मात्र बिहार में 7 लाख 63 हजार गाड़ियों की बिक्री हुई थी, 2017-18 में यह बढ़कर 11 लाख 13 हजार 806 हो गया यानी 2016-17 से 2017-18 में लगभग 46 परसेंट का ग्रोथ हुआ है वाहनों की खरीद के अंदर, 7 लाख 63 से बढ़कर 11 लाख 13 हजार और बीते

वर्ष 2018-19 में 12 लाख 2 हजार 188 गाड़ियों की खरीद हुई है यहां के लोगों के द्वारा और मैं सदन को 2008-09 का बता दूँ कि 2008-09 में एक साल में केवल 2 लाख 20 हजार गाड़ियों की बिक्री हुई थी जो 2018-19 में बढ़कर 12 लाख 2 हजार 188 हो गयी और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बता दूं सदन को इन गाड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा बिक्री मोटर साईकिल की है, 83 परसेंट बिक्री मोटर साईकिल की है, कार की बिक्री 5 परसेंट, थ्री व्हीलर 4 परसेंट और ट्रकों की बिक्री 4 प्रतिशत है । उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मृत प्राय हो गया था, अब यह फिर से जीवित हो रहा है और 2018-19 में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की गाड़ियों से 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने एक साल में यात्रा की है। सभापति महोदय, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हो रहा है । अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बार बार हमारे लोग 15 साल का जिक्र करते हैं और वे कहते हैं कि बार-बार 15 साल का जिक्र कबतक करते रहेंगे, उनका 15 साल और हमलोगों का 15 साल, अब जनता तय करे कि उनके 15 साल में ज्यादा काम हुआ या हमलोगों के 15 साल में ज्यादा काम हुआ । अगर उन लोगों ने 15 साल में काम किया होता, उन्होंने एक मजबूत नींव पर बिहार को खड़ा कर दिया होता तो आज हम तीन मंजिला, चार मंजिला विकास की गाथा लिख सकते थे लेकिन वो लोग तो श्मशान जैसा बिहार को और छोड़कर चले गए, इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं टू बिगीन फ्रौम बिगनिंग तो प्रारम्भ से प्रारम्भ करना तो 2005 में हमलोगों को हर चीज को प्रारम्भ से प्रारम्भ करना पड़ा है । 2015 उनका और 2015 हमारा, जनता तय करेगी कि किस गठबंधन और किन लोगों ने 15 साल में बेहतर काम किया है और सभापति महोदय, आज के इस दिन में एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष पिछल कई दिनों से, आज 17 वॉ दिन है विधान सभा की कार्यवाही का लेकिन मुझे दुख है कि नेता प्रतिपक्ष अभी तक उन्होंने सदन के अंदर संभवत: एक शब्द बोलने का काम नहीं किया है । मुझे लगता है कि बिहार के संसदीय इतिहास का यह पहला मौका होगा जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने न तो बजट में भाग लिया और न किसी चर्चा में भाग लिया और मुझे पता नहीं आज के इस मेरे वक्तव्य के बाद शायद बचे हुए 4-5 दिनों में आकर कुछ वो बोले लेकिन सभापति महोदय, यह इतिहास लिखेगा, रेकर्ड में दस्तावेज में दर्ज होगा कि नेता प्रतिपक्ष लगातार 17 दिन तक अनुपस्थित रहे । मुझे पता नहीं कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में क्या प्रावधान

है कि आपकी अनुमति से कोई कितना दिन तक गैर हाजिर रह सकता है । उन्होंने आपसे अनुमति लिया कि नहीं, बीमार हैं या क्या कर रहे हैं, यह पता नहीं है और एक बात मैं सदन के माध्यम से बिहार के लोगों को बताना चाहूंगा कि कई बार मीडिया में तरह-तरह के भ्रम पैदा किए जाते हैं क्या होगा, यह गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा तो मैं सदन के माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहूँगा कि अगला विधान सभा का चुनाव भी इस गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ने का काम करेगा और इसमें किसी को कोई भ्रम न रहे और डूबती नाव पर कौन सवार होगा, जिस नाव के अंदर छेद ही छेद है और जो गठबंधन मुश्किल से एक ही सीट जीत पाया तो उस नाव पर कौन सवार होना चाहेगा । सभापति महोदय, मुझे पूरा भरोसा है कि 2019-20 का जो वर्ष होगा, जिसमें जितना हमलोगों ने निर्णय लिया है, चाहे वह नल जल योजना हो, गली नली योजना हो, शौचालय बनाने का जो लक्ष्य है, उन सारी चीजों को 2019-20 के वर्ष में हासिल करेंगे, इसलिए मैं, सदन से आग्रह करुंगा कि इस विनियोग विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करे ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विनियोग (संख्या-2)विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-2)विधेयक, 2019 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 22 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-41 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सभा की सहमति हुई)

टर्न-20/राजेश/22.7.19

<u>शोक-प्रकाश</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सभा की बैठक के अंत में मुझे आप सभी सदस्यों को यह दु:खद सूचना देनी पड़ रही है कि चलते सत्र के दौरान राज्य से जुड़े दो

जनप्रतिनिधियों का निधन हो गया है, जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है ।

स्वर्गीय रामचन्द्र पासवान

लोक सभा के वर्त्तमान सदस्य श्री रामचन्द्र पासवान का असामयिक निधन दिनांक 21 जुलाई, 2019 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 57 वर्ष की थी।

स्वर्गीय पासवान समस्तीपुर जिला के रोसड़ा लोक सभा निर्वाचन (सुरक्षित) क्षेत्र से वर्ष 1999 एवं 2004 में तथा समस्तीपुर लोक सभा निर्वाचन (सुरक्षित) क्षेत्र से वर्ष 2014 एवं 2019 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत खगड़िया जिला को-ऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष निर्वाचित होकर किया था । वे दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्षी भी थे । वे मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय ए0 के0 राय

बिहार विधान सभा एवं लोक सभा के पूर्व सदस्य श्री ए0 के0 राय का निधन दिनांक 21 जुलाई, 2019 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 84 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय राय धनबाद जिला के सिन्दरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967, 1969 एवं 1972 में बिहार विधान सभा एवं धनबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977, 1980 तथा 1989 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे प्रखर साम्यवादी विचारधारा के राजनेता थे । उन्होंने अभियंता की नौकरी छोड़कर आदिवासियों एवं कोयला खान मजदूरों के शोषण के विरूद्ध आंदोलन की शुरूआत की थी । वे जुझारू तथा संघर्षशील जननेता थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूंगा ।

अब सभा की बैठक, मंगलवार दिनांक 23 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।